

वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 सितम्बर 2016-भाद्र 11, शके 1938

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

##### मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर, अरोरा कॉलोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त, 2016

क्र.-1570.—मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के राज्य बोर्ड की 141वीं बैठक दिनांक 15 जुलाई, 2016 में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशालाओं द्वारा प्राकृतिक जल, औद्योगिक निःसाव, परिवेशीय वायु, फ्यूजीटिव उत्सर्जनों एवं विमनी उत्सर्जनों, मृदा, जोखिमयुक्त अपशिष्ट, शोर प्रदूषण, आटो एक्जोस्ट के नमूने लेने व किये जाने वाले विभिन्न विश्लेषणात्मक पैरामीटरों के लिये मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देय शुल्क/प्रभार निम्नानुसार संशोधित किया जाता है।

1. यह अधिसूचना दिनांक 1 सितम्बर, 2016 से लागू होगी।

सैम्पत्तिग एवं विश्लेषण प्रभारों की अनुमूलिकाएँ:

1. परिवेशीय वायु मापन के सभी 12 पैरा मीटर हेतु सैम्पत्तिग प्रभार :-

प्रकार

प्रभार ( रुपयों में )

#### परिवेशीय वायु प्रबोधन

( 1 ) आर. एस. पी. एम. ( पी. एम. 10 )-

सैम्पत्तिग चार्ज ( प्रति 8 घण्टे ) पी.एम. 10 .. 3000/-

सैम्पत्तिग चार्ज ( प्रति 24 घण्टे ) पी.एम. 10 .. 10000/-

पी. एम. 2.5-

( प्रति 24 घण्टे ) पी.एम. 10 .. 10000/-

सैम्पत्तिग दर आर. एस. पी. एम. ( पी. एम. 10 ) .. 1500/-

सैम्पत्तिग दर पी.एम. 2.5 .. 1500/-

सैम्पत्तिग दर वी. ओ. सी/ बी. टी. एक्स .. 2000/-

सैम्पत्तिग दर पॉलि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन .. 2500/-

	प्रकार	प्रभार (रुपयों में)
सैम्पलिंग दर एस. ओ. टू./ एन. ओ. एक्स./ एसिड मिस्ट/ कार्बन मोनोऑक्साइड एवं डाई ऑक्साइड/हाइड्रोजन सल्फाइड/कार्बन डाई सल्फाइड/ क्लोरीन/फ्लोरीन/ अमोनिया व अन्य गैसेस.	..	1500/-
धातुओं के विश्लेषण हेतु प्रोसेसिंग दर प्रति फिल्टर पेपर	..	6000/-
<b>2. स्रोत उत्सर्जन मापन-</b>		
	प्रकार	प्रभार (रुपयों में)
स्रोत उत्सर्जन मापन	..	8000/-
स्रोत उत्सर्जन सेम्पलिंग दर प्रति प्रचालक	..	1500/-
पी. एम./ एस. ओ. टू/ एन. ओ. एक्स./ एसिड मिस्ट/ कार्बन डाई सल्फाइड/ हाइड्रोजन सल्फाइड/ कार्बन डाई ऑक्साइड/ कार्बन मोनो ऑक्साइड/ क्लोरीन/फ्लोरीन/ अमोनिया व अन्य गैसेस.	..	4000/-
धातुओं की विश्लेषण हेतु प्रोसेसिंग दर प्रति फिल्टर थिबल	..	2000/-
<b>3. स्रोत उत्सर्जन / परिवेशीय वायु मापन हेतु परिवहन दर —</b>		
(अ) नमूना एकत्रिकरण हेतु मुख्यालय जिले के अन्तर्गत परिवहन दर	..	2000/-
नमूना एकत्रिकरण हेतु मुख्यालय जिले के अतिरिक्त अन्य जिलों हेतु परिवहन दर.	..	4000/-
(ब) अतिरिक्त नमूना परिवहन हेतु दर रु.	..	200/- प्रति सैम्पल
(स) स्रोत उत्सर्जन तथा परिवेशीय वायु मापन कार्य एक साथ करने पर परिवहन व्यय एक ही बार लिया जायेगा.	..	
<b>4. प्लास्टिक गेज थिकनेस मापन (पॉलीथिन कैरी बैग हेतु)-</b>		
	प्रकार	प्रभार (रुपयों में)
विश्लेषण दर अधिकतम 10 मापन का औसत	..	700/- प्रति सैम्पल
<b>5. ध्वनि स्तर मापन :</b>		
क्र. सं.	प्रकार	प्रभार (रुपयों में)
(अ) प्रथम ध्वनि स्तर मापन दर-	..	5000/-
(ब) उसी परिसर में अतिरिक्त प्रति ध्वनि स्तर मापन दर-	..	3000/-
(स) एक ही स्थान पर लगातार आठ घण्टे अथवा अधिकतम 24 घण्टे तक ध्वनि स्तर मापन दर.	..	15,000/-
<b>6. ध्वनि स्तर मापन हेतु परिवहन दर-</b>		
क्र. सं.	प्रकार	प्रभार (रुपयों में)
(1) मुख्यालय जिले के अन्तर्गत नमूना एकत्रिकरण हेतु परिवहन दर	..	1500/-
(2) अन्य जिले से नमूना एकत्रिकरण हेतु परिवहन दर	..	3000/-
(3) अतिरिक्त नमूनों के परिवहन हेतु दर प्रति सैम्पल	..	200/-
<b>7. जल/अपशिष्ट जल नमूना एकत्रिकरण एवं परिवहन प्रभार-</b>		
क्र. सं.	प्रकार	प्रभार (रुपयों में)
1. (1) नमूना एकत्रिकरण व परिवहन दर- मुख्यालय जिले के अन्तर्गत	..	1500/-

क्र. सं.	प्रकार	प्रभार
		(रुपयों में)
	(2) नमूना एकत्रिकरण व परिवहन दर- अन्य जिले हेतु	.. 3000/-
	(3) अतिरिक्त नमूनों के एकत्रिकरण व परिवहन हेतु दर- प्रति सैम्प्ल	.. 200/-
2.	<b>कम्पोजिट सैम्प्लिंग-</b>	
	(1) कम्पोजिट सैम्प्लिंग/स्रोत/स्थान 8 घण्टे तक	.. 2260/-
	कम्पोजिट सैम्प्लिंग/स्रोत/स्थान 16 घण्टे तक	.. 4500/-
	कम्पोजिट सैम्प्लिंग/स्रोत/स्थान 24 घण्टे तक	.. 6760/-
	(2) उसी स्थान पर प्रति अतिरिक्त कम्पोजिट सैम्प्लिंग-	
	किन्तु अलग स्रोत पर 8 घण्टे तक	.. 1000/-
	अलग स्रोत पर 16 घण्टे तक	.. 2000/-
	अलग स्रोत पर 24 घण्टे तक	.. 2500/-
3.	बहाव दर परिमापन/स्रोत-एक बार	.. 650/-
	बहाव दर परिमापन/स्रोत प्रत्येक-अतिरिक्त	.. 200/-

टिप्पणी :— संबंधित पैरामीटरों के विश्लेषण प्रभार, सूची के अनुसार अलग से देय होंगे.

#### 8. मृदा/स्लज नमूना/जोखिमयुक्त अपशिष्ट नमूनों का एकत्रिकरण प्रभार-

क्र. सं.	सैम्प्लिंग का प्रकार	प्रभार
		(रुपयों में)
(1)	नमूना एकत्रिकरण व परिवहन दर-मुख्यालय जिले के अन्तर्गत	.. 2000/-
(2)	नमूना एकत्रिकरण व परिवहन दर-अन्य जिले हेतु	.. 3000/-
(3)	अतिरिक्त नमूनों के एकत्रिकरण व परिवहन हेतु दर प्रति सैम्प्ल	.. 400/-

टिप्पणी :— संबंधित पैरामीटरों के सैम्प्ल विश्लेषण प्रभार, सूची के अनुसार अलग से देय होंगे.

#### 9.0 विश्लेषण प्रभार:-

##### 9.1 परिवेशीय वायु/फ्यूजीटिव उत्सर्जन पैरामीटरों के विश्लेषण प्रभार :—

क्र. सं.	पैरामीटर्स	प्रभार प्रति सैम्प्ल
		(रुपयों में)
1.	एसिड मिस्ट	.. 1000/-
2.	एसिड मिस्ट ( अतिरिक्त)	.. 1000/-
3.	अमोनिया	.. 1000/-
4.	अमोनिया ( अतिरिक्त)	.. 1000/-
5.	ड्रेगर प्रयोग से विश्लेषण ( प्रति ट्यूब )	.. 1000/-
6.	कार्बन मोनो ऑक्साईड	.. 1000/-
7.	क्लोरीन	.. 1000/-
8.	क्लोरीन ( अतिरिक्त)	.. 1000/-
9.	साइनाइड ( अतिरिक्त)	.. 1200/-
10.	फ्लुओराइड ( गैसयुक्त )	.. 1200/-
11.	फ्लुओराइड ( विविक्त )	.. 1000/-

क्र. सं.	पैरामीटर्स	प्रभार प्रति सैम्प्ल
		(रुपयों में)
12.	हाइड्रोजन क्लोराइड	.. 1000/-
13.	हाइड्रोजन सल्फेट	.. 1000/-
14.	हाइड्रोजन सल्फाइड	.. 1000/-
15.	सीसा व अन्य धातुएं (प्रति धातु)	.. 1500/-
16.	मरकेटेन (अतिरिक्त)	.. 1000/-
17.	पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन (प्रत्येक यौगिक)	.. 1500/-
18.	विविक्त कण	.. 1000/-
19.	श्वसन निलम्बित विविक्त कण (पी.एम.)	.. 1000/-
20.	सल्फर डायऑक्साइड	.. 1000/-
21.	नाइट्रोजन डायऑक्साइड (अतिरिक्त)	.. 1000/-
22.	नाइट्रोजन के ऑक्साइड	.. 1000/-

टिप्पणी :- नमूना एकत्रिकरण प्रभार, सूची के अनुसार अलग से देय होंगे।

#### 9.2 स्रोत उत्सर्जन पैरामीटरों के लिये विश्लेषण प्रभार :—

क्र.सं.	पैरामीटर्स	प्रभार प्रति सैम्प्ल
		(रुपयों में)
1.	विविक्त कण	.. 1500/-
2.	सल्फर डायऑक्साइड	.. 1500/-
3.	नाइट्रोजन के ऑक्साइड	.. 1500/-
4.	एसिड मिस्ट	.. 1500/-
5.	अमोनिया	.. 1500/-
6.	कार्बन मोनोऑक्साइड	.. 1500/-
7.	क्लोरीन	.. 1500/-
8.	फ्लुओराइड (गैसयुक्त)	.. 1500/-
9.	फ्लुओराइड (विविक्त)	.. 1500/-
10.	हाइड्रोजन सल्फेट	.. 1500/-
11.	हाइड्रोजन सल्फाइड	.. 1500/-
12.	हाइड्रोजन क्लोराइड	.. 1500/-
13.	पी.ए.एच. (विविक्त) प्रत्येक यौगिक	.. 1500/-

टिप्पणी :- नमूना एकत्रिकरण प्रभार, सूची के अनुसार अलग से देय होंगे।

#### 9.3 जल एवं अपशिष्ट जल नमूनों का विश्लेषण प्रभार :—

क्र.सं.	पैरामीटर्स	प्रभार प्रति सैम्प्ल
		(रुपयों में)
<b>भौतिक पैरामीटर्स</b>		
1.	चालकता (Conductivity)	.. 200/-
2.	गंध	.. 100/-
3.	स्लज वॉल्यूम इनडेक्स (एस.बी.आई.)	.. 300/-

क्र. सं.	पैरामीटर्स	प्रभार प्रति सैम्प्ल
		(रुपयों में)
4.	ठोस (घुलनशील)	.. 150/-
5.	ठोस (निर्धारित) प्रत्येक	.. 250/-
6.	ठोस (बोलेटाईल) प्रत्येक	.. 250/-
7.	निलम्बित ठोस	.. 250/-
8.	तापक्रम	.. 100/-
9.	कुल ठोस	.. 300/-
10.	गंदलापन	.. 150/-
11.	बहाव की गति (करंट मीटर)	.. 300/-
12.	बहाव की गति (अन्य)	.. 800/-
	<b>रासायनिक पैरामीटर्स</b>	
13.	अम्लता	.. 200/-
14.	क्षारता (अल्कालिनिटी)	.. 200/-
15.	एल्यूमीनियम	.. 1500(AAS), 500 (Spectro)
16.	अमोनीकल नाइट्रोजन	.. 350/-
17.	एन्टीमोनी	.. 1500(AAS)
18.	अधिशोषक कार्बनिक हैलोजन (ए.ओ.एक्स.)	.. 3000
19.	आर्सेनिक	.. 1500(AAS), 500 (Spectro)
20.	बेरियम	.. 1500(AAS)
21.	बेरीलियम	.. 1500(AAS), 500 (Spectro)
22.	बाइकार्बोनेट	.. 200/-
23.	जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बी.ओ.डी.)	.. 1000/-
24.	बोरोन	.. 500/-
25.	ब्रोमाइड	.. 200/-
26.	केडमीयम	.. 1500(AAS), 500 (Spectro)
27.	कैल्शियम (टाईट्रीमैट्रीक)	.. 1500/-
28.	कार्बन डाईऑक्साइड	.. 200/-
29.	कार्बोनेट	.. 150/-
30.	क्लोराइड	.. 200/-
31.	क्लोरीन मांग	.. 300/-
32.	क्लोरीन अवशेष	.. 200/-
33.	क्रोमियम हेक्सावेलेन्ट	.. 500/-
34.	क्रोमियम कुल	.. 1500 (AAS) 500 (Spectro)

क्र. सं.	पैरामीटर्स	प्रभार प्रति सैम्प्ल
		(रुपयों में)
35.	कोबाल्ट	.. 1500 (AAS)
36.	रासायनिक ऑक्सीजन मांग ( सी.ओ.डी. )	.. 600
37.	रंग	.. 150
38.	कॉपर	.. 1500 (AAS) 500 (Spectro)
39.	साइनाईड	.. 760
40.	डिटरजेन्ट्स	.. 350
41.	घुलनशील ऑक्सीजन	.. 250
42.	बहाव दर माप ( प्रथम )	.. 700
43.	बहाव दर माप ( अतिरिक्त )	.. 200
44.	फ्लओराइड	.. 300
45.	एच. अम्ल	.. 400
46.	कठोरता ( कैल्शियम )	.. 200
47.	कठोरता ( कुल )	.. 200
48.	आयोडाइड	.. 200
49.	लौह ( Iron )	.. 1500 (AAS) 500 (Spectro)
50.	सीसा	.. 1500 (AAS) 500 (Spectro)
51.	मेग्नीशियम	.. 300
52.	मैग्नीज	.. 1500 (AAS) 500 (Spectro)
53.	मरकरी	.. 1500 (AAS/Analyser)
54.	मोलिबडेनम	.. 1500 (AAS) 500 (Spectro)
55.	निकल	.. 1500 (AAS) 500 (Spectro)
56.	नाइट्रेट नाइट्रोजन	.. 350
57.	नाइट्राईट नाइट्रोजन	.. 350
58.	ऑयल एवं ग्रीस	.. 500
59.	पोलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ( पी.ए.एच. )	.. 2000
60.	परसेन्ट सोडियम	.. 800
61.	परमेनेट वेल्यू	.. 300
62.	पेस्टीसाइड ( प्रत्येक )	.. 1500
63.	पी. एच.	.. 200
64.	फिनोल	.. 350
65.	फोस्फेट ( आर्थों )	.. 350

क्र. सं.	चैरामीटर्स	प्रभार प्रति सैम्प्ल
		(रुपयों में)
66.	फॉस्फेट (कुल)	.. 500
67.	पोटेशियम	.. 300
68.	लवणता	.. 200
69.	सोडियम अधिशोषण अनुपात (एस.ए.आर.)	.. 1000
70.	सेलेनियम	.. 1500 (AAS)/ 500 (Spectro)
71.	सेटलेकल ठोस	.. 200
72.	सिलिका	.. 300
73.	सिल्वर	.. 1500 (AAS)/ 500 (Spectro)
74.	सोडियम	.. 300
75.	स्ट्रोन्शियम	.. 1500 (AAS)
76.	सल्फेट	.. 350
77.	सल्फाईड	.. 350
78.	सल्फाईट	.. 450
79.	टेनीन/लिगनीन	.. 450
80.	टीन	.. 1500 (AAS)
81.	कुल जेलडाल नाइट्रोजन (टी. के. एन.)	.. 1000
82.	कुल आर्गेनिक कार्बन (टी. ओ. सी.)	.. 1000
83.	यूरिया नाइट्रोजन	.. 1000
84.	वेनेडियम	.. 1500 (AAS)/ 500 (Spectro)
85.	वोलेटाइल आर्गेनिक एसिड्स	.. 500
86.	जस्ता	.. 1500 (AAS)/ 500 (Spectro)
<b>जैवकीय परीक्षण</b>		
87.	बैक्टीरियालोजिकल नमूना संग्रहण	.. 500
88.	बेन्थोस आर्गेनिज्म का पता लगाना तथा मात्रा (प्रति नमूना)	.. 2000
89.	क्लोरोफिकल आंकलन	.. 1000
90.	ई. कोली (एम.एफ.टी. तकनीकी)	.. 1000
91.	ई. कोली (एम.पी.एन. तकनीकी)	.. 1000
92.	फीकल कोलीफार्म (एम. एफ. टी. तकनीकी)	.. 1000
93.	फीकल कोलीफार्म (एम.पी. एन. तकनीकी)	.. 1000
94.	फीकल स्ट्रेप्टोकोक्की (एम. एफ. टी. तकनीकी)	.. 1500
95.	फीकल स्ट्रेप्टोकोक्की (एम.पी. एन. तकनीकी)	.. 1000
96.	प्लांकटन नमूना संग्रहण	.. 500

क्र. सं.	पैरामीटर्स	प्रभार प्रति सैम्प्ल
		(रुपयों में)
97.	प्लांकटन (फाइटोप्लांटन) मात्रा	.. 1500
98.	प्लांकटन (जूप्लांटन) मात्रा	.. 1500
99.	मानक प्लेट मात्रा	.. 500
100.	कुल कोलीफार्म (एम. एफ. टी. तकनीकी)	.. 1000
101.	कुल कोलीफार्म (एम.पी. एन. तकनीकी)	.. 1000
102.	कुल प्लेट मात्रा	.. 1000
103.	टोक्सीकोलोजीकल-बायोऐसे (एल. सी. 50)	.. 6000

टिप्पणी : नमूना एकत्रिकरण प्रभार सूची के अनुसार अलग से देय होंगे।

#### 9.4 बायोमॉनीटरिंग

क्र.सं.	पैरामीटर्स	प्रभार प्रति सैम्प्ल (रुपयों में)
1.	बायोमॉनीटरिंग (BWQI)	.. 22000 (एकत्रिकरण प्रभार सम्मिलित)

#### 9.5 मृदा नमूनों के विश्लेषण का प्रकार :

क्र.सं.	पैरामीटर्स	प्रभार प्रति सैम्प्ल
		(रुपयों में)
1.	अमोनिया	.. 500
2.	बाइकार्बोनेट	.. 360
3.	बोरोन	.. 650
4.	केलिशयम	.. 250
5.	केलिशमय कार्बोनेट	.. 450
6.	केटायन एक्सचेंज क्षमता (सी.ई.सी.)	.. 500
7.	क्लोराईड	.. 500
8.	रंग	.. 200
9.	विद्युत चालकता	.. 200
10.	परिवर्तनीय सोडियम प्रतिशतता (ई.एस.पी.)	.. 1200
11.	जिप्सम आवश्यकता	.. 760
12.	एच. एसिड	.. 900
13.	भारी धातु (ट्रेसएलीमेंट) प्रत्येक	.. 1500 (AAS)
14.	मैग्नेशियम	.. 500
15.	मेकेनीकल मृदा विश्लेषण (मृदा संरचना)	.. 300
16.	नाइट्रेट	.. 500
17.	नाईट्रोइट	.. 500
18.	उपलब्ध नाइट्रोजन	.. 500

क्र. सं.	पैरामीटर्स	प्रभार प्रति सैम्प्ल
		(रुपयों में)
19.	आर्गेनिक कार्बन/धातु (रासायनिक विधि)	.. 500
20.	पी.ए.एच.	.. 3000
21.	पेस्टीसाइड्स (प्रत्येक)	.. 1500
22.	पी.एच.	.. 200
23.	फास्फोरस (उपलब्ध)	.. 600
24.	फास्फेट (आर्थों)	.. 600
25.	फास्फेट (कुल)	.. 600
26.	पोटाश (उपलब्ध)	.. 400
27.	पोटेशियम	.. 450
28.	मृदा तत्वों में एस. ए. आर.	.. 1500
29.	सोडियम	.. 500
30.	मृदा आर्द्रता	.. 200
31.	सल्फेट	.. 300
32.	सल्फर	.. 500
33.	टी. के. एन.	.. 1500
34.	टी.ओ.सी.	.. 1500
35.	कुल जल घुलनशील साल्ट्स	.. 350
36.	जल भरण क्षमता	.. 200

टिप्पणी : नमूना एकत्रिकरण प्रभार सूची के अनुसार अलग से देय होंगे।

#### 9.6 जोखिमयुक्त अपशिष्ट सैम्प्लों के लिए विश्लेषण प्रभार :

क्र.सं.	पैरामीटर्स	प्रभार प्रति सैम्प्ल
		(रुपयों में)
1.	विक्षालन की तैयारी (टी.सी.एल.पी. एक्सट्रेक्ट/जल एक्सट्रेक्ट )	.. 2240
2.	विक्षालन में विभिन्न पैरामीटरों का निर्धारण	.. जल सैम्प्ल विश्लेषण प्रभार
3.	फ्लैश बिन्दु/प्रज्वलनता	.. 1000
4.	अभिक्रियाशीलता	.. 1000
5.	क्षयकारिता	.. 1000
6.	विषालुता का परिमापन-एल. सी. 50 -आयामरहित विषालुता	.. 6000 .. 2500
7.	कुल आर्गेनिक कार्बन	.. 800
8.	अवशोषित आर्गेनिक हलोजीन	.. 3500

टिप्पणी : 1. नमूना एकत्रिकरण प्रभार सूची के अनुसार अलग से देय होंगे।

2. विक्षालन (एक्सट्रेक्ट) प्रभार प्रति नमूना/प्रति पैरामीटर्स रु. 250 अलग से देय होंगे।

## 10. वाहन उत्सर्जन मॉनिटरिंग प्रभार :—

क्र.सं.	वाहनों के प्रकार	प्रभार प्रति वाहन
		(रुपयों में)
1.	2 पहिया व 3 पहिया (पेट्रोल/गैस) वाहनों हेतु	.. 500/-
2.	2 पहिया व 3 पहिया (डीजल) वाहनों हेतु	.. 600/-
3.	4 पहिया (पेट्रोल/गैस) वाहनों हेतु	.. 600/-
4.	4 पहिया डीजल चलित वाहनों हेतु	.. 1000/-
5.	6 पहिया डीजल चलित यात्री वाहनों हेतु	.. 1200/-
6.	6 पहिया भारवाहनों हेतु	.. 1600/-
7.	6 पहिया से अधिक पहियों वाले भारवाहनों हेतु	.. 2000/-

## 11. वाहन उत्सर्जन मापन हेतु परिवहन दर :—

क्र.सं.	प्रकार	प्रभार
		(रुपयों में)
1.	मुख्यालय जिले के अंतर्गत परिवहन दर	.. 4000/-
2.	अन्य जिले हेतु परिवहन दर	.. 6000/-
3.	संबंधित वाहनों के उत्सर्जन मापन का प्रभार, अलग से होंगे.	.. सूची के अनुसार

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम से तथा  
आदेशानुसार,  
ए.ए.मिश्रा,  
सदस्य सचिव.

(317-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, बबली जैन मेरे पुत्र का नाम प्रियेश जैन है. जो त्रुटिवश पुत्र के स्कूल रिकार्ड में माता का नाम शोभा जैन हो गया है. मेरे पुत्र को प्रियेश जैन माता बबली जैन के नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

नया नाम :

(शोभा जैन)

(बबली जैन)

(318-बी.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरे पुत्र का नाम पार्थ विमुग पुत्र श्री मुकुल सक्सेना एवं श्रीमती निधि सक्सेना था. अब मेरे पुत्र का नाम एम. पार्थ सक्सेना पुत्र श्री मुकुल सक्सेना एवं श्रीमती निधि सक्सेना हो गया है. अतः भविष्य में मेरे पुत्र को एम. पार्थ सक्सेना पुत्र श्री मुकुल सक्सेना एवं श्रीमती निधि सक्सेना के नाम से जाना व पहचाना जाये.

**NIDHI SAXENA,**  
C/o C.S. Saxena  
E-7/72, Arera Colony, SBI Society  
Bhopal (M. P.).

(319-B.)

CHANGE OF NAME

That my son previously known as Mithil Vimug Son of Shri Mukul Saxena & Smt. Nidhi Saxena and now in the present future my son will be known and recognized by the name M. Mithil Saxena Son of Shri Mukul Saxena & Smt. Nidhi Saxena.

**NIDHI SAXENA,**  
C/o C.S. Saxena  
E-7/72, Arera Colony, SBI Society  
Bhopal (M. P.).

(320-B.)

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम राधा मनी आर पिता श्री राघवन नायर था. जो अब परिवर्तित होकर श्रीमती राधा नायर हो गया है. अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

( राधा मनी आर )

पिता श्री राघवन नायर.

( 321-बी.)

नया नाम :

( राधा नायर )

पति रघुनाथन नायर

बी-206, तुलसी नगर,  
इन्दौर ( म.प्र. ).

### नाम परिवर्तन

मेरा नाम पूर्व में नाम ( पुराना नाम ) खुशबू कुमावत था. अब मेरा नाम परिवर्तित होकर अविशा कुमावत हो गया है तथा मुझे भविष्य में इसी नाम से जाना व पहचाना जावेगा.

पुराना नाम :

( खुशबू कुमावत )

पिता श्री गणेश कुमावत.

( 326-बी.)

नया नाम :

( अविशा कुमावत )

पिता श्री गणेश कुमावत,

पता-ए-26, चन्द्रनगर, इन्दौर ( म.प्र. ).

### नाम परिवर्तन

मैं, मोहम्मद रज्जाक आज दिनांक को निम्न कथन शपथपूर्वक करता हूँ कि मेरी पुत्री जिसका नाम फिजा खान युसुफ जई है. इस नाम को बदलकर मैं अपनी पुत्री का नाम ताजुलवरा खान युसुफ जई करवाना चाहता हूँ. अतः आज से मेरी पुत्री को ताजुलवरा खान युसुफ जई के नाम से जाना और पहचाना जावे. स्कूल और समस्त शा. रिकॉर्ड इसी नाम से जाने जायेंगे.

सूचनाकर्ता :

**(MOHAMMAD RAZZAQUE KHAN)**

म. नं.-449, नया मोहल्ला,

जयप्रकाश नारायण वार्ड, जबलपुर ( म.प्र. ).

( 327-बी.)

### उप-नाम परिवर्तन

मेरा नाम सुमुख लाड़ पिता श्री मुकेश लाड़, निवासी क्वार्टर नं. 9, टाईप 3, डाककुंज, 11/5, मनोरमांज, इन्दौर ( म.प्र. ) ने अंक गणितीय विज्ञान के अनुसार अपना उपनाम लाड़ के स्थान पर परिवर्तित कर मिल्लत कर लिया है. भविष्य में मुझे सुमुख लाड़ की जगह सुमुख मिल्लत के नाम से पहचाना जाए.

पुराना नाम :

( सुमुख लाड़ )

( 328-बी.)

नया नाम :

( सुमुख मिल्लत )

निवासी-क्वार्टर नं. 9, टाईप 3,

डाककुंज, 11/5, मनोरमांज,

इन्दौर ( म.प्र. ).

### उप-नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम गौरव गांधारी ( GAURAV GANDHARI ) से परिवर्तित होकर मेरा नया नाम उपनाम सहित गौरव वासवानी ( GOURAV VASWANI ) हो गया है. अतः मुझे नये नाम से जाना एवं पहचाना जायें.

पुराना नाम :

( गौरव गांधारी )

( GAURAV GANDHARI )

( 329-बी.)

नया नाम :

( गौरव वासवानी )

( GOURAV VASWANI )

पता-ए.च.आई.जी. 144, शिवकल्प कॉलोनी,

अयोध्या बायपास रोड, तहसील हुजूर, भोपाल,

जिला भोपाल ( म.प्र. ).

### CHANGE OF NAME

Before Marriage My name was NILIMA GANDHE D/o RAM CHANDRA BALKRISHNA GANDHE after marriage. I have changed my name PRAGATI DESHPANDE W/o PRAFULLA DESHPANDE.

Old Name :

( NILIMA GANDHE )

(330-B.)

New Name :

( PRAGATI DESHPANDE )

50-C, Parshvanath Nagar,  
Indore (M.P.).

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को यह सूचित किया जाता है कि श्रीमती उत्तरा सुपेकर का नाम विवाह के पूर्व कु. राजेश्री नाईक पिता श्री कमलाकर पी. नाईक था, विवाह पश्चात् मेरा नाम श्रीमती उत्तरा सुपेकर पति श्री उज्ज्वल सुपेकर हो गया है। आगे से मुझे इसी नाम से जाना जावे। सूचनार्थ।

पुराना नाम :

( कु. राजेश्री नाईक )

(331-बी.)

नया नाम :

( उत्तरा सुपेकर )

पता-160, लोकमान्य नगर,  
केसरबाग रोड, इंदौर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी से पहले मेरे सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम स्वीटी अग्रवाल पुत्री श्री महेन्द्र अग्रवाल अंकित है शादी के बाद मेरा नाम सृष्टि (Shrashti) गोयल पत्नी श्री रामशंकर गोयल हो गया है। अतः भविष्य में मुझे सृष्टि (Shrashti) गोयल के नाम से ही जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :

( स्वीटी अग्रवाल )

पुत्री-श्री महेन्द्र अग्रवाल..

(332-बी.)

नया नाम :

( सृष्टि गोयल )

पत्नी-श्री रामशंकर गोयल,  
निवासी-आस्था निकेत अजयपुर,  
पोस्ट ऑफिस के सामने सिंकंदर कम्पू  
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स “सिया ग्लोबल वेंचर” जो कि दिनांक 29 जुलाई, 2015 को स्थापित हुई है। जिसका पंजीयन 03/27/01/0323/16 सन् 2015-16 है एवं इस फर्म का पंजीयन दिनांक 25 फरवरी, 2016 को हुआ है। इस फर्म में यशवर्धन राय पिता अशोक कुमार राय एवं विनोद वर्मा पिता लखन लाल वर्मा भागीदार हैं। दिनांक 08 अक्टूबर, 2015 को भागीदार विनोद वर्मा पिता लखन लाल वर्मा निर्वत्मान हो रहे हैं एवं इसी दिनांक से यशवर्धन राय के अतिरिक्त श्री विजय कुमार राय पिता मोतीलाल राय फर्म में भागीदार के रूप में प्रवेश कर रहे हैं। अतः यह सर्व-विदित हो।

M/s Siya Global Venture

विजय कुमार,

(partner).

(322-B.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स राजलक्ष्मी कंस्ट्रक्शन स्थित एम. आई. जी.-59, ऐडा कॉलोनी, राधौगढ़, जिला गुना जिसका पंजीयन क्रमांक 02/40/04/00120/06, दिनांक 20-12-2006 है। जिसमें दिनांक 11-08-2016 को भागीदारी श्री राधेश्याम धाकड़ पुत्र श्व. अमरलाल धाकड़, निवासी साड़ा कॉलोनी, राधौगढ़, जिला गुना अपनी स्वेच्छा से फर्म में पृथक हो गए हैं एवं इसी दिनांक 11-08-2016 को श्री चन्द्रप्रकाश रघुवंशी पुत्र श्री मेहरबान सिंह, निवासी राघव कॉलोनी, गुना फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गए हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

फर्म-मैसर्स राजलक्ष्मी कंस्ट्रक्शन,

सूर्यप्रकाश रघुवंशी,

( भागीदार ).

(324-बी.)

**PUBLIC NOTICE**  
**NOTICE U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

Notice is hereby given that the firm "M/s AMBA CONSTRUCTION" of Bhopal *Vide* Reg. No. 01/01/01/00086/2005, Dated 11-07-2005 has undergone the following changes:-

1. That Shri Rohit Sharma S/o Shri D. P. Sharma and Smt. Raksha Sharma W/o Shri D. P. Sharma has also desire to retire from the Partnership firm w. e. f. 28-08-2006.
2. That Shri G.S. Shrivastava S/o Shri G.P. Shrivastava and Smt. Divya Shrivastava W/o Shri Anand Shrivastava has joined the Partnership firm w. e. f. 01-04-2009.

"M/s AMBA CONSTRUCTION"  
**ANAND SHRIVASTAVA,**  
 (Partner).

C-257, Shahpura, Mansarovar Colony,  
 Bhopal (M.P.).

(325-B.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स श्री राम कन्स्ट्रक्शन, पता-ग्राम-पो. भैंसवार (कोठी), तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.) फर्म का पंजीयन क्रमांक 0086/12-13 है। फर्म की द्वितीय भागीदारी विलेखानुसार पार्टनर नं. 2 श्री विनय सिंह पिता श्री अमोद सिंह, पता-ग्राम बदौर, पो. कोठी, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.) दिनांक 05-05-2015 से नये भागीदार के रूप में शामिल हो गये हैं एवं प्रथम भागीदारी विलेख के अनुसार पार्टनर नं. 01 श्री लव कुमार गौतम पिता श्री महेश प्रसाद गौतम, पता-ग्राम पो. भैंसवार (कोठी), जिला सतना (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से दिनांक 05-05-2015 से फर्म की भागीदारी से पृथक् हो गये हैं एवं जिनका फर्म की किसी भी गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं होगा। अतः जिस किसी को भागीदारी विलेख के सम्बंध में आपत्ति हो, तो वह प्रकाशन दिनांक से सात दिवस के अन्दर आपत्ति दर्ज करें।

द्वारा फर्म  
 मैसर्स श्री राम कन्स्ट्रक्शन,  
**बलिराज सिंह,**  
 (पार्टनर)

पता-ग्राम पो. भैंसवार, जिला सतना (म.प्र.).

(323-बी.)

**आम सूचना**

मैसर्स बाबा मनिरामपुरी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी-01, कृष्ण मेंशन शंकर चौक ललितपुर कॉलोनी, ग्वालियर (म.प्र.) रजि. क्रमांक 02/42/01/00049/08, सन् 2008-2009 में दिनांक 04-07-2016 से वर्तमान भागीदारों में से निम्न लिखित भागीदारों को पृथक् कर दिया गया है—

1. श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार पुत्र श्री गजराज सिंह सिकरवार, निवासी शंकर चौक ललितपुर कॉलोनी, ग्वालियर।

एवं दिनांक 04-07-2016 से निम्नलिखित भागीदारों को सम्मिलित किया गया है।

1. श्री सत्यप्रकाश सिंह सिकरवार पुत्र श्री गजराज सिंह सिकरवार, निवासी शंकर चौक ललितपुर कॉलोनी, ग्वालियर।

मैसर्स बाबा मनिरामपुरी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,  
**योगेन्द्र सिंह सिकरवार,**  
 (द्वारा भागीदार)

(333-बी.)

**मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर**

इन्दौर, दिनांक 12 अगस्त, 2016

राज्य अभियांत्रिकी सेवा (मुख्य) परीक्षा-2014, परीक्षा दिनांक 14 मार्च, 2016 (सोमवार) एवं 15 मार्च, 2016 (मंगलवार)

**संक्षिप्त समाचार-विज्ञप्ति**

वि. क्र. 8117/26/2016/अनु-10.—आयोग के विज्ञापन क्रमांक-02/परीक्षा/2014, दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 (शुद्धि-पत्र क्रमांक 01/02/परीक्षा/2014, दिनांक 13 फरवरी, 2015 के अनुसार) ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2015, शुद्धि-पत्र क्रमांक 01/02/परीक्षा/2014, दिनांक 13 फरवरी, 2015, विज्ञप्ति आयोग द्वारा राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा-2014 की नवीन तिथि घोषित एवं शुद्धि-पत्र क्रमांक 02/02/परीक्षा/2014, दिनांक 15 सितम्बर, 2015 (राज्य अभियांत्रिकी सेवा (मुख्य) परीक्षा 2014 ऑनलाइन परीक्षा आयोजन की सूचना) मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के अंतर्गत सहायक यंत्री (सिविल)-302, सहायक यंत्री (विद्युत)-34, सहायक यंत्री (यांत्रिकी)-25, सहायक कृषि यंत्री-10, कुल 371 पदों हेतु राज्य अभियांत्रिकी सेवा (मुख्य) परीक्षा-2014, दिनांक 14 मार्च, 2016 एवं 15 मार्च, 2016 प्रातः 10.00 से 01.00 बजे तक एक सत्र में इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की गई थी। उपरोक्त परीक्षा में श्रेणीवार संख्या के पदों के तीन गुना जिसमें समान अंक प्राप्त अर्ह आवेदक भी सम्मिलित हैं। प्रावधिक अर्ह घोषित किया गया है।

उपरोक्त परीक्षा में साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों का परीक्षा परिणाम आयोग की विज्ञप्ति क्रमांक-26/2016/अनु-10, दिनांक 12 अगस्त, 2016 द्वारा घोषित किया गया है। यह परिणाम आयोग कार्यालय के सूचना पटल पर देखने के लिये उपलब्ध है तथा “रोजगार और निर्माण”

के आगामी अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसे आयोग की वेबसाईट [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com), [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) एवं [www.mppscdemo.in](http://www.mppscdemo.in) पर देखा जा सकता है—

**सहायक यंत्री सिविल में कुल-686 आवेदक अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित-477, अनुसूचित जाति-47, अनुसूचित जनजाति-15 व अन्य पिछड़ा वर्ग-147 हैं। इनमें कुल महिला-87 हैं। निःशक्तजन-अस्थिबाधित-04 सम्मिलित हैं व भूतपूर्व सैनिक-निरंक हैं।**

**सहायक यंत्री विद्युत में कुल-83 आवेदक अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित-57, अनुसूचित जाति-09, अनुसूचित जनजाति-02 व अन्य पिछड़ा वर्ग-15 हैं। इनमें कुल महिला-22 हैं। निःशक्तजन व भूतपूर्व सैनिक-निरंक हैं।**

**सहायक यंत्री यांत्रिकी में कुल-69 आवेदक अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित-43, अनुसूचित जाति-05, अनुसूचित जनजाति-03 व अन्य पिछड़ा वर्ग-18 हैं। इनमें कुल महिला-12 हैं। निःशक्तजन व भूतपूर्व सैनिक-निरंक हैं।**

**सहायक कृषि यंत्री में कुल-30 आवेदक अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित-15, अनुसूचित जाति-06, अनुसूचित जनजाति-03 व अन्य पिछड़ा वर्ग-03 हैं। इनमें कुल महिला-09 हैं। निःशक्तजन-अस्थिबाधित-01 सम्मिलित हैं व भूतपूर्व सैनिक-निरंक हैं।**

साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों हेतु अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म आयोग की वेबसाईट [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com), [www.mppscdemo.in](http://www.mppscdemo.in) एवं [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) पर उपलब्ध है। प्रावधिक अर्ह अभ्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म डाउनलोड करके विधिवत भरकर अनुप्रमाणन फार्म (एक प्रति) एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म (एक प्रति) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विकलांग प्रत्याशी विकलांगता प्रमाण पत्र एवं भूतपूर्व सैनिक आवेदक भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण-पत्र, शासकीय सेवक सेवा का प्रमाण-पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र, पहचान प्रमाण-पत्र (मतदाता परिचय-पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पास-बुक की प्रति, शासकीय कर्मचारी होने पर नियोक्ता द्वारा जारी परिचय-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति) ऑनलाईन आवेदन-पत्र की छायाप्रति एवं अन्य समस्त प्रमाण-पत्र जिसकी आवेदन-पत्र में जानकारी दी गई है के समर्थन में इनकी सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न कर दिनांक 18 सितम्बर, 2016 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे। जिन आवेदकों के अभिलेख अंतिम तिथि तक आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा की वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाहते हैं। अतः उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जाँच पश्चात् ही सही पाई जाने पर ही आवेदक को साक्षात्कार की पात्रता होगी।

साक्षात्कार की तिथि पृथक् से घोषित की जाएगी।

(643)

बंदना वैद्य,  
उप-सचिव.

इन्दौर, दिनांक 12 अगस्त, 2016

**राज्य अभियांत्रिकी सेवा ( मुख्य ) परीक्षा-2014, परीक्षा दिनांक 14 मार्च, 2016 ( सोमवार ) एवं 15 मार्च, 2016 ( मंगलवार )**

#### परीक्षा परिणाम

वि. क्र. 8117/26/2016/अनु.-10.—आयोग के विज्ञापन क्रमांक-02/परीक्षा/2014, दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 ( शुद्धि-पत्र क्रमांक 01/02/परीक्षा/2014, दिनांक 13 फरवरी, 2015 के अनुसार ) ऑनलाईन आवेदन अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2015, शुद्धि-पत्र क्रमांक 01/02/परीक्षा/2014, दिनांक 13 फरवरी, 2015, विज्ञप्ति आयोग द्वारा राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा-2014 की नवीन तिथि घोषित एवं शुद्धि-पत्र क्रमांक 02/02/परीक्षा/2014, दिनांक 15 सितम्बर, 2015 ( राज्य अभियांत्रिकी सेवा ( मुख्य ) परीक्षा 2014, ऑनलाईन परीक्षा आयोजन की सूचना ) मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के अंतर्गत सहायक यंत्री ( सिविल )-302, सहायक यंत्री ( विद्युत )-34, सहायक यंत्री ( यांत्रिकी )-25, सहायक कृषि यंत्री-10, कुल 371 पदों हेतु राज्य अभियांत्रिकी सेवा ( मुख्य ) परीक्षा-2014, दिनांक 14 मार्च, 2016 एवं 15 मार्च, 2016 प्रातः 10.00 से 01.00 बजे तक एक सत्र में इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की गई थी।

उपरोक्त परीक्षा में पद संख्या के 03 गुना जिसमें समान अंक प्राप्त अर्ह आवेदक सम्मिलित हैं। इनमें पदवार, श्रेणीवार प्रावधिक अर्ह आवेदकों की संख्या निम्नानुसार है:-

**सहायक यंत्री सिविल में कुल-686 आवेदक अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित-477, अनुसूचित जाति-47, अनुसूचित जनजाति-15 व अन्य पिछड़ा वर्ग-147 हैं। इनमें कुल महिला-87 हैं। निःशक्तजन-अस्थिबाधित-04 सम्मिलित हैं व भूतपूर्व सैनिक-निरंक हैं।**

**सहायक यंत्री विद्युत में कुल-83 आवेदक अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित-57, अनुसूचित जाति-09, अनुसूचित जनजाति-02 व अन्य पिछड़ा वर्ग-15 हैं। इनमें कुल महिला-22 हैं। निःशक्तजन व भूतपूर्व सैनिक-निरंक हैं।**

**सहायक यंत्री यांत्रिकी में कुल-69 आवेदक अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित-43, अनुसूचित जाति-05, अनुसूचित जनजाति-03 व अन्य पिछड़ा वर्ग-18 हैं। इनमें कुल महिला-12 हैं। निःशक्तजन व भूतपूर्व सैनिक-निरंक हैं।**

**सहायक कृषि यंत्री में कुल-30 आवेदक अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित-15, अनुसूचित जाति-06, अनुसूचित जनजाति-03 व अन्य पिछड़ा वर्ग-03 हैं। इनमें कुल महिला-09 हैं। निःशक्तजन-अस्थिबाधित-01 सम्मिलित हैं व भूतपूर्व सैनिक-निरंक हैं।**

साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों हेतु अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म आयोग की वेबसाइट [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com), [www.mppscdemo.in](http://www.mppscdemo.in) एवं [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) पर उपलब्ध है। प्रावधिक अर्ह अभ्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म डाउनलोड करके विधिवत भरकर अनुप्रमाणन फार्म (एक प्रति) एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म (एक प्रति) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विकलांग प्रत्याशी विकलांगता प्रमाण पत्र एवं भूतपूर्व सैनिक आवेदक भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण-पत्र, शासकीय सेवक सेवा का प्रमाण-पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र, पहचान प्रमाण-पत्र (मतदाता परिचय-पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पास-बुक की प्रति, शासकीय कर्मचारी होने पर नियोक्ता द्वारा जारी परिचय-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति) अॅनलाइन आवेदन-पत्र की छाया प्रति एवं अन्य समस्त प्रमाण-पत्र जिसकी आवेदन-पत्र में जानकारी दी गई है के समर्थन में इनकी सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न कर दिनांक 18 सितम्बर, 2016 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे। जिन आवेदकों के अभिलेख अंतिम तिथि तक आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा की वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाहते हैं। अतः उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जाँच पश्चात् ही सही पाई जाने पर ही आवेदक को साक्षात्कार की पात्रता होगी।

साक्षात्कार की तिथि पृथक् से घोषित की जाएगी।

परीक्षा परिणाम में प्रावधिक अर्ह पाए गए आवेदकों के रोल नम्बर एवं नाम की सूची निम्नानुसार है:-

**MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION  
STATE ENGINEERING SERVICE MAIN EXAM 2014 (CIVIL)  
ROLL NO WISE LIST OF CANDIDATES ELIGIBLE FOR INTERVIEW**

S.No.	Roll No.	Name	Remark
1.	EEBH0100144	BRIJENDRA KUMAR VISHWAKARMA	
2.	EEBH0100145	HARSHVARDHAN SINGH MUVEL	
3.	EEBH0100149	VIVEK VERMA	
4.	EEBH0200001	RANJIT SINGH LODHI	
5.	EEBH0200023	SIDDHANT AZAD	
6.	EEBH0200024	SALIL SINGH	
7.	EEBH0200028	AJAY UPADHYAY	
8.	EEBH0200039	ABHAY KUMAR JAISWAL	
9.	EEBH0200067	SHRIKANT SARATHE	
10.	EEBH0200115	ANJALI SHUKLA	
11.	EEBH0200131	KETAN SHAKYA	
12.	EEBH0300062	KULDEEP SINGH THAKUR	
13.	EEBH0300070	RAHUL JAIN	
14.	EEBH0300119	SHUBHAM JAIN	
15.	EEBH0300127	GAURAV KUMAR	
16.	EEBH0300138	SANDEEP YADAV	
17.	EEBH0300140	SHIVAM RAI	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
18.	EEBH0300158	RAHUL SONI	
19.	EEBH0300161	ANURAG JAIN	
20.	EEBH0300213	ANKIT DUBEY	
21.	EEBH0300222	RAHUL DHANGAR	
22.	EEBH0300223	SUMIT SINGH	
23.	EEBH0400004	MOHIT VERMA	
24.	EEBH0400042	ABHISHEK VERMA	
25.	EEBH0400062	RAHUL JAIN	
26.	EEBH0400081	ROHIT MALVIYA	
27.	EEBH0400099	VIKRAM SINGH THAKUR	
28.	EEBH0400174	LOKESH DESHMUKH	
29.	EEBH0400191	SHUBHAM TIWARI	
30.	EEBH0400204	ANKIT VERMA	
31.	EEBH0400212	NITISH KUMAR	
32.	EEBH0400219	RAHUL PANWAR	
33.	EEBH0500038	VIKALP KUMAR SHARMA	
34.	EEBH0500050	ANUGRAH SINGH	
35.	EEBH0500083	ASHISH YADAV	
36.	EEBH0500120	IMRAN ALAM	
37.	EEBH0600036	SUNNY KUMAR	
38.	EEBH0600053	RAHUL PATEL	
39.	EEBH0600054	SAHITYA TIWARI	
40.	EEBH0600080	SUMIT PATIDAR	
41.	EEBH0600081	ANKIT GUPTA	
42.	EEBH0600105	PRAMOD KUMAR SHARMA	
43.	EEBH0600108	ARVIND KUMAR PATEL	
44.	EEBH0600117	DEEPAK SHARMA	
45.	EEBH0600127	AKASH JAIN	
46.	EEBH0600131	ANKIT TIWARI	
47.	EEBH0600142	RAHUL TIWARI	
48.	EEBH0600145	SANDEEP SHARMA	
49.	EEBH0600161	DEEPAK CHOUHAN	
50.	EEBH0600173	ROHIT JAIN	
51.	EEBH0600194	DEEPESH JHALA	
52.	EEBH0600197	SAURABH SINGH	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
53.	EEBH0700012	AKASH JAIN	
54.	EEBH0700021	ASHUTOSH PANDEY	
55.	EEBH0700061	SATYENDRA SINGH RAJPUT	
56.	EEBH0700068	BASANT PATEL	
57.	EEBH0700169	VEERENDRA SHAH	
58.	EEBH0700171	SANTOSH KUMAR	
59.	EEBH0700176	ARPITA SINGHI	
60.	EEBH0800012	SIDDHARTH SONI	
61.	EEBH0800039	NEERAJ KUMAR YADAV	
62.	EEBH0800043	MANOJ KUMAR MISHRA	
63.	EEBH0800122	PARAS KUMAR SINGH	
64.	EEBH0800139	AKASH SACHAN	
65.	EEBH0800169	UPENDRA SINGH	
66.	EEBH0800187	NITIN CHHUGANI	
67.	EEBH0800202	JAIKISHAN DAMANI	
68.	EEBH0800212	SAURABH JAIN	
69.	EEBH0800225	DEVANAND SHUKLA	
70.	EEBH0800243	TRIVENEE HUDE	
71.	EEBH0900009	ABHINAV SINGH PARIHAR	
72.	EEBH0900098	GIRIRAJ SHARAN DANGI	
73.	EEBH0900127	BHOOPENDRA SURYAWANSHI	
74.	EEBH0900179	RAHUL JAISWAL	
75.	EEBH0900203	SUMIT KUMAR MISHRA	
76.	EEBH1000002	SANDEEP JAIN	
77.	EEBH1000005	DHEERAJ CHAUDHARY	
78.	EEBH1000024	AKASH KHARE	
79.	EEBH1000027	PURVI BHARDWAJ	
80.	EEBH1000028	SHUMAILA SALEEM	
81.	EEBH1000064	MUJEEB UL HASAN	
82.	EEBH1000075	AVINASH THAKRE	
83.	EEBH1000082	AJAY JATAV	
84.	EEBH1000105	SUBHASH CHANDRA GOSWAMI	
85.	EEBH1000187	ANKITA TURKAR	
86.	EEBH1100034	SUKANYA SAXENA	
87.	EEBH1100102	NITESH KUMAR SURYAWANSHI	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
88.	EEBH1100114	NEERAV AGRAWAL	
89.	EEBH1100130	RITU KIRAR	
90.	EEBH1100150	RAHUL MANDRAHA	
91.	EEBH1100180	ANKIT BHADORIA	
92.	EEBH1200009	PRAKASH PANJWANI	
93.	EEBH1200024	APARNA TRIPATHI	
94.	EEBH1200027	ASHUTOSH SINHA	
95.	EEBH1200034	SWADEEP KANG	
96.	EEBH1200134	AMIT SEN	
97.	EEBH1300001	LALEETA KOTHEKAR	
98.	EEBH1300002	NITYA SHRIVASTAVA	
99.	EEBH1300004	PRIYANK PATEL	
100.	EEBH1300007	ANKIT GOYAL	
101.	EEBH1300023	RISHABH MISHRA	
102.	EEBH1300105	DEEP SINGH	
103.	EEBH1300108	SIDDHMUNI PATEL	
104.	EEBH1400009	SAURABH SAXENA	
105.	EEBH1400027	KUMAR VAIBHAVA	
106.	EEBH1400028	AVINASH SAHU	
107.	EEBH1400046	SUDHANSU JAIN	
108.	EEBH1400052	PARAS JAIN	
109.	EEBH1400054	MAYANK NAURIYAL	
110.	EEBH1400060	BHARAT AGRAWAL	
111.	EEBH1400066	ANANT CHOURDHARY	
112.	EEBH1400068	MITESH SINGOD	
113.	EEBH1400093	VIVEK ANAND SHARMA	
114.	EEBH1400100	BADAL KUMAR	
115.	EEBH1400111	VINOD BARKANE	
116.	EEBH1400121	PUSHPRAJ SINGADIA	
117.	EEBH1400123	PRASHANT SUKHIJA	
118.	EEBH1500001	VIJAY RANJAN KUSHWAH	
119.	EEBH1500040	JITENDRA AHIRWAR	
120.	EEBH1500104	SAMEER ANSARI	
121.	EEBH1500117	UZAIR KASHFI SYED	
122.	EEBH1600008	YOGESH KUMAR PATHAK	
123.	EEBH1600045	MEGHA MAURYA	
124.	EEBH1600050	ARCHANA THAKUR	
125.	EEBH1600060	PRAKASH NAGAR	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
126.	EEBH1600084	ADITYA KIRAR	
127.	EEBH1600112	MANOJ CHOUDHARY	
128.	EEBH1600134	SAURABH NAYAK	
129.	EEBH1700019	RAHUL PATIDAR	
130.	EEBH1700079	RISHI KUMAR GARHEWAL	
131.	EEBH1700081	UDAYVEER SINGH SONER	
132.	EEBH1700084	PULKIT SINGH KIRAR	
133.	EEBH1700087	VINAY BIDUA	
134.	EEBH1700120	SOURABH KUMAR KHARE	
135.	EEBH1800033	VIVEK RAI	
136.	EEBH1800050	PANKAJ KUMAR BAGRI	
137.	EEBH1800063	SUMI BHANDARI	
138.	EEBH1800077	BRAJESH KURMI	
139.	EEBH1800091	DEEPANJU DAK	
140.	EEBH1800092	MAYANK KUMAR GANGELE	
141.	EEBH1800110	GULSHAN NAGPURE	
142.	EEBH1800188	SPARSH BHARDWAJ	
143.	EEBH1900028	SHASHANK AWASTHI	
144.	EEBH1900031	CHANDRESH RATHORE	
145.	EEBH1900048	MANISH SHUKLA	
146.	EEBH1900061	SHADAB HIND BUX	
147.	EEBH1900062	ROHIT KAITHWAS	
148.	EEBH1900083	ABHISHEKKUMAR RAJKUMAR SHUKLA	
149.	EEBH1900108	SONALI SINHA	
150.	EEBH1900120	VIPIN GUPTA	
151.	EEBH1900128	SHARAD CHAURASIA	
152.	EEBH1900144	RAHUL CHOUDHARY	
153.	EEBH1900158	PRANSHU PANDEY	
154.	EEBH1900187	SHACHINDRA KUMAR CHADHAR	
155.	EEBH1900215	LALIT VAIDYA	
156.	EEBH1900219	TARUN BHATIA	
157.	EEBH2000068	JEETENDRA PATIDAR	
158.	EEBH2000102	SHUBHSHREE AWASTHI	
159.	EEBH2000125	RAJARSHI BAJPAI	
160.	EEBH2000136	MANISH BADKUR	
161.	EEBH2000161	AKSHARA TIWARI	
162.	EEBH2100034	AKASH RATHORE	
163.	EEBH2100054	MANISH KUMAR	
164.	EEBH2100087	PRACHI SHRIVASTAVA	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
165.	EEBH2100149	RISHI SONI	
166.	EEBH2100150	JITENDRA GURJAR	
167.	EEBH2100162	CHANDRABHAN SINGH	
168.	EEBH2100181	SHUBHANSU TIWARI	
169.	EEBH2100184	ARVIND VISHAVKARMA	
170.	EEBH2100195	VEETHIKA GOMASTA	
171.	EEBH2100219	RAJAT KUMAR SEN	
172.	EEBH2200009	SHEKHAR SEN	
173.	EEBH2200031	AMAN KUMAR BHARTI	
174.	EEBH2200060	MOHIT SHUKLA	
175.	EEBH2200075	JEETENDRA AHIRWAR	
176.	EEBH2200086	VIKAS NIMARE	
177.	EEBH2300009	ASHISH KUMAR PATEL	
178.	EEBH2300010	SHASHANK SAXENA	
179.	EEBH2300045	SHUBHAM AGNIHOTRI	
180.	EEBH2300056	SOURABH CHOUDHARI	
181.	EEBH2300065	ARPIT CHOUDHARY	
182.	EEBH2300088	SHWETANK SHRIVASTAVA	
183.	EEBH2300093	ABHISHEK GADEKAR	
184.	EEBH2300128	SHAURYA PRATAP SINGH	
185.	EEBH2400004	NAMAN DUBE	
186.	EEBH2400020	ABDUL AASIF KHAN	
187.	EEBH2400052	ADITI HUNDET	
188.	EEBH2400055	ANKUR VISHWAKARMA	
189.	EEBH2400068	SRISTI SHARMA	
190.	EEBH2400101	SAKET MISHRA	
191.	EEBH2400112	AMAR DAHIYA	
192.	EEBH2400132	SURBHI THAKRE	
193.	EEBH2400134	UMESH SINGH	
194.	EEBH2400153	HARSHIT CHOUHAN	
195.	EEBH2400168	ANUPAM SHARMA	
196.	EEBH2400172	ASHISH SHRIVASTAV	
197.	EEBH2400186	PANKAJ KHARADI	
198.	EEBH2400195	GAURAV SARAF	
199.	EEBH2400229	ROHIT RAI	
200.	EEBH2400236	GYANDEEP BHUMARKAR	
201.	EEBH2500002	SALMAN KHAN BAHANA	
202.	EEBH2500034	NITESH KUMAR SULYA	
203.	EEBH2500087	SHIVRAJ SINGH MEENA	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
204.	EEBH2500091	RAM SINGH RAJPUT	
205.	EEBH2500099	ANSHUMAN GOUR	
206.	EEBH2500103	SUDHIR BABU PATEL	
207.	EEBH2500153	RAJUL NAMDEO	
208.	EEBH2500189	PRABHAT JAIN	
209.	EEBH2500195	PUNDREEK DWIVEDI	
210.	EEBH2500208	HEMANT KUMAR	
211.	EEBH2500225	MAYANK ARORA	
212.	EEBH2500249	ANKIT GOSWAMI	
213.	EEBH2600012	NARENDRA MEENA	
214.	EEBH2600023	VANDANA CHAUHAN	
215.	EEBH2600062	PRAKHAR NAYAK	
216.	EEBH2600096	SIDDHARTH RICHHARIYA	
217.	EEBH2600159	MINESH RATHORE	
218.	EEBH2600200	RAVI SHANKAR PATIDAR	
219.	EEBH2700002	VIVEK KUMAR MISHRA	
220.	EEBH2700055	SHIVAM CHOORASIA	
221.	EEBH2700063	ANSHU BAMNEY	
222.	EEBH2700111	CHETAN PAWAR	
223.	EEBH2700133	DILEEP SINGH DHAKER	
224.	EEBH2700153	KUMAR GAURAV	
225.	EEBH2700157	ADARSH KUMAR SINGH	
226.	EEBH2700164	DIVYANI SINGH	
227.	EEBH2800001	GIRISH HINGWEY	
228.	EEBH2800031	MONIKA MEWADE	
229.	EEBH2800150	ANKIT PATIDAR	
230.	EEBH2800160	ASHUTOSH TIWARI	
231.	EEBH2800162	PALAK JAIN	
232.	EEBH2800185	SHARAD SURYAWANSHI	
233.	EEBH2800219	DEVESH KUMAR PATEL	
234.	EEBH2800227	SHUBHENDU BOBADE	
235.	EEBH2900007	ANKIT SWARNKAR	
236.	EEBH2900018	VIVEK TIWARI	
237.	EEBH2900049	DIVYANI SAGORIYA	
238.	EEBH2900060	GAURAV KUMAR VISHWAKARMA	
239.	EEBH2900102	UPENDRA PATHAK	
240.	EEBH2900105	ARVIND KUMAR PATIDAR	
241.	EEBH2900122	ANKIT AWASTHI	
242.	EEBH3000004	ATUL NAKHATE	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
243.	EEBH3000024	PANKAJ MALVIYA	
244.	EEBH3000083	RAMENDU AGARIA	
245.	EEBH3000087	PRAVEEN KUMAR SONI	
246.	EEBH3100021	AVINASH SINGHAI	
247.	EEBH3100035	DEEPESH RAWAL	
248.	EEBH3100043	RAKESH DHAKAD	
249.	EEBH3100052	JAY PATIDAR	
250.	EEBH3100074	SANJEEV SINGH BAGHEL	
251.	EEBH3100100	DASHRATH BOBDE	
252.	EEBH3100102	SACHIN SHARMA	
253.	EEBH3200021	RAJESH SHAH	
254.	EEBH3200034	PRASHANT NAIN	
255.	EEBH3200039	SHANUL SAXENA	
256.	EEBH3200050	AMAN MANDLIK	
257.	EEBH3200081	RISHI BADERIYA	
258.	EEBH3200084	RAVI SHANKAR VERMA	
259.	EEBH3200100	MANOJ DHAKAR	
260.	EEBH3200140	RAHUL VERMA	
261.	EEBH3300017	RAMAUTAR PATEL	
262.	EEBH3300046	VASHISHTHA MUNI PANDEY	
263.	EEBH3300058	BRAJESH KUMAR NAMDEO	
264.	EEBH3300127	SHAHRUKH AHMED	
265.	EEBH3300128	DEVENDRA RAJPUT	
266.	EEBH3300133	LAXMI PRASAD SINGH	
267.	EEBH3300153	RAVI GUPTA	
268.	EEBH3400009	BHAGWAN SINGH LODHA	
269.	EEBH3400012	ANKIT DALAL	
270.	EEBH3400045	NAGESHWAR DATT PANDEY	
271.	EEBH3400052	SOURABH KAKANI	
272.	EEBH3400093	ASHWINI SONI	
273.	EEBH3400094	SWAPNIL JAIN	
274.	EEBH3400095	SWATI DONGRE	
275.	EEBH3400130	VIPIN KUMAR VERMA	
276.	EEBH3400133	SHASHWAT DAMODARE	
277.	EEBH3400158	KARAN BARKIYA	
278.	EEBH3400505	ASHISH TRIVEDI	
279.	EEBH3400507	ANIRUDH SINGH RATHORE	
280.	EEBH3400508	PAWANSUT GUPTA	
281.	EEBH3400556	AMIT KUMAR BASAK	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
282.	EEBH3400562	ROHIT TRIPATHI	
283.	EEBH3400565	KAUSHAL PRADEEP SHARMA	
284.	EEBH3500314	BALENDRA MUDGAL	
285.	EEBH3500360	MADHUSOODAN SHARMA	
286.	EEBH3500378	PRASHANT DWIVEDI	
287.	EEBH3500404	VINOD KUMAR CHITTORIYA	
288.	EEBH3600251	AJAY RAJPUT	
289.	EEBH3600255	RACHIT GAUTAM	
290.	EEBH3600279	ANMOL KOCHHAR	
291.	EEBH3600330	GOURAV SINGH THAKUR	
292.	EEBH3600332	MUKESH KUMAR VERMA	
293.	EEBH3600338	SHREY AGRAWAL	
294.	EEBH3700261	PRABHAV MISHRA	
295.	EEBH3700267	ANURAG MAURYA	
296.	EEBH3700276	RAHUL RISHAV	
297.	EEBH3700297	YOGESH SHARMA	
298.	EEBH3700300	JASPAL SINGH NAPIT	
299.	EEBH3700308	KRISHNA XXXX	
300.	EEBH3700310	NEERAJ GOLHANI	
301.	EEBH3700343	NEERAJ SINGH	
302.	EEBH3700385	RAJVIND SINGH	
303.	EEBH3700434	AYUSH DIXIT	
304.	EEBH3700441	ANKIT KUMAR RASTOGI	
305.	EEBH3700464	V ABHISHEK	
306.	EEBH3700483	JITENDRA KUMAR GUPTA	
307.	EEBH3700494	DEEPAK KUMAR TIWARI	
308.	EEBH3800244	DEVESH SAHU	
309.	EEBH3800278	ANMOL JADWANI	
310.	EEBH3800306	RAGHVENDRA SINGH SURYAN	
311.	EEBH3800342	ANVESH PRATAP SINGH	
312.	EEBH3800382	BHUPENDRA GURJAR	
313.	EEBH3800395	PRATEEK JAIN	
314.	EEBH3800402	MAYANK CHARSONIYA	
315.	EEBH3800407	SATISH KUMAR BUNDELKAR	
316.	EEBH3800417	ABHINAV ARPAN	
317.	EEBH3900231	MANEESH KUMAR SHARMA	
318.	EEBH3900261	SIDDHARTH PARMAR	
319.	EEBH3900278	PIYUSH MEROTHIA	
320.	EEBH3900281	HARDIK PATEL	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
321.	EEBH3900307	RISHABH SINGH TOMAR	
322.	EEBH3900403	RAHUL KANERIYA	
323.	EEBH3900404	ANKIT KHARE	
324.	EEBH3900444	DILIP KUMAR PATEL	
325.	EEBH4000248	SANJEEP KUMAR VERMA	
326.	EEBH4000317	VIKALESHP KUMAR	
327.	EEBH4000323	UPENDRA SINGH CHAUHAN	
328.	EEBH4000353	JEETENDRA RATHOR	
329.	EEBH4000355	ABHAY YADAV	
330.	EEBH4000376	SUMIT KUMAR TRIVEDI	
331.	EEBH4000389	ATUL OJHA	
332.	EEBH4000412	DAYANAND GOPE	
333.	EEBH4000430	DHARMENDRA CHAUDHARY	
334.	EEBH4000465	HARIOM SINGH	
335.	EEBH4100244	ROHAN SHARMA	
336.	EEBH4100283	ROHIT VARSHNEY	
337.	EEBH4100284	SADDAM HUSAIN	
338.	EEBH4100331	ADITYA VIKRAM SINGH BHADORIA	
339.	EEBH4100346	MANEESH KUMAR SINGH	
340.	EEBH4100358	AMIT KUMAR SAH	
341.	EEBH4100364	GAURAV AGARWAL	
342.	EEBH4100383	VIPIN SHUKLA	
343.	EEBH4100389	ANUPAM GAHOI	
344.	EEBH4100422	SANCHIT KHETERPAL	
345.	EEGW0100015	SAKSHI SAHU	
346.	EEGW0100039	HARSHITA YADAV	
347.	EEGW0100053	RATNA DWIVEDI	
348.	EEGW0100055	TARU SHIKHA JAIN	
349.	EEGW0100064	ANJALI SHARMA	
350.	EEGW0100081	SATENDRA SINGH	
351.	EEGW0200008	ASHUTOSH GAUTAM	
352.	EEGW0300051	AJEET SINGH TOMAR	
353.	EEGW0300068	BEERENDRA KUMAR	
354.	EEGW0300116	VIVEK KUMAR SINGH	
355.	EEGW0300131	PANKAJ RAJPUT	
356.	EEGW0400005	PRAVEEN KUMAR	
357.	EEGW0400024	SAURABH GUPTA	
358.	EEGW0400034	VIKASH KUMAR	
359.	EEGW0400042	RAHUL SINGH	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
360.	EEGW0400043	MAYANK AGRAWAL	
361.	EEGW0400049	ARCHANA CHAWLA	
362.	EEGW0500006	PRATIKSHA JAIN	
363.	EEGW0500033	VIVEK OJHA	
364.	EEGW0500062	AMIT KUMAR SINGH	
365.	EEGW0500067	PRACHI JAIN	
366.	EEGW0500074	PAWAN KUMAR	
367.	EEGW0500106	PRIYANKA JAIN	
368.	EEGW0500111	VIVEK KUMAR	
369.	EEGW0600003	ANKITA JAIN	
370.	EEGW0600010	BHAVNA YADAV	
371.	EEGW0600016	NIDHI MISHRA	
372.	EEGW0600043	PREETI YADAV	
373.	EEGW0600049	SAUMYA SINGH	
374.	EEGW0600052	SAPNA VERMA	
375.	EEGW0600056	MEGHA MISHRA	
376.	EEGW0600080	ABHISHEK KUMAR	
377.	EEGW0600117	DEEPAK JHA	
378.	EEGW0600130	NANCY JAIN	
379.	EEGW0600142	SUKANKSHA SARAN	
380.	EEGW0600149	MEGHA SHARMA	
381.	EEGW0700041	SHIVAKAR CHAURASIYA	
382.	EEGW0700043	DIVYARAJ DHAKAD	
383.	EEGW0800004	RAJKUMAR DHAKAD	
384.	EEGW0800031	MITARPAL TANWAR	
385.	EEGW0800057	GOPAL PATRALEKH	
386.	EEGW0800080	PANKAJ KUMAR	
387.	EEGW0800093	KUMAR VISHAM	
388.	EEGW0800122	AKHILESH KUMAR PAL	
389.	EEGW0900005	MANISH KUMAR	
390.	EEGW0900011	GAURAV TRIPATHI	
391.	EEGW0900018	SHUBHAM SINGH	
392.	EEGW0900078	LOVINCE GUPTA	
393.	EEGW0900147	RAVI KARORIYA	
394.	EEGW0900148	AVINASH CHANDRA	
395.	EEGW0900149	PRADYUMNA SONI	
396.	EEGW0900150	VISHANU BHAGWAN	
397.	EEGW0900161	RISHI KUMAR AGRAHARI	
398.	EEGW0900229	VEERESH VIKRAM SINGH SENGAR	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
399.	EEGW0900238	PUSHPENDRA SINGH SHEKHAWAT	
400.	EEGW0900242	YOGESH GURNANI	
401.	EEGW1000015	SANDEEP YADAV	
402.	EEGW1000020	NIKHIL MISHRA	
403.	EEGW1000034	HARSHIT GUPTA	
404.	EEGW1000063	ASHIM DUTT	
405.	EEGW1000073	ADITYA YADAV	
406.	EEGW1000088	RAHUL MISHRA	
407.	EEGW1000090	TOSHIK KARADE	
408.	EEGW1000093	RAMVEER YADAV	
409.	EEGW1000099	KUNAL KUMAR	
410.	EEGW1100015	AKSHAY KUMAR	
411.	EEGW1100025	AMIT MISHRA	
412.	EEGW1100100	RAHUL SONI	
413.	EEGW1200022	JAY RAJPUT	
414.	EEGW1200039	AMIT KUMAR ARYA	
415.	EEGW1200059	RAJVEER SINGH NARWARIA	
416.	EEGW1200066	PRAVEEN KUMAR SINGH	
417.	EEGW1200067	PIYUSH PARIK	
418.	EEGW1200082	JOGINDER SINGH YADAV	
419.	EEGW1300003	ANKIT GOYAL	
420.	EEGW1300045	RAMLAKHAN SINGH GURJAR	
421.	EEGW1300048	RITESH RANJAN	
422.	EEGW1300084	DEEPAK PATIDAR	
423.	EEGW1300107	NISHANT KAD	
424.	EEGW1400009	SUMAN JEE	
425.	EEGW1400039	HIMANSHU RAI	
426.	EEGW1400051	MUNENDRA KUMAR GUPTA	
427.	EEGW1400068	SATENDER SINGH	
428.	EEGW1400097	REETU RAJ	
429.	EEID0100018	RAHUL SINGH	
430.	EEID0100020	RADHESHYAM KUMAWAT	
431.	EEID0100107	AMAN PATEL	
432.	EEID0100112	ROHIT YADAV	
433.	EEID0100168	SHRUTI SHIVDEKAR	
434.	EEID0100173	RAHUL MALVIYA	
435.	EEID0200039	ROHIT YADAV	
436.	EEID0200053	RAJESH PATIDAR	
437.	EEID0200079	SHUBHAM AGARWAL	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
438.	EEID0200110	RINKU CHOUHAN	
439.	EEID0200145	AMIT GUPTA	
440.	EEID0200180	DEEPAK BIRLA	
441.	EEID0200190	MUKESH KUMAR	
442.	EEID0300004	YAGYESH KUMAR PATEL	
443.	EEID0300030	NEETU PATEL	
444.	EEID0300036	YASH RATHORE	
445.	EEID0300041	VIVIDH BADAYA	
446.	EEID0300048	DEEPAK KUMAR	
447.	EEID0300108	DEEPAK GUPTA	
448.	EEID0300127	ABHISHEK PATIDAR	
449.	EEID0300128	PRAVEEN SHARMA	
450.	EEID0300170	PANKAJ KUMAR VERMA	
451.	EEID0300197	RAHUL SEN	
452.	EEID0300218	SAURABH AGRAWAL	
453.	EEID0300219	RAJAT SHRIVASTAVA	
454.	EEID0400003	TANMAY GEHLOT	
455.	EEID0400011	KUSHAGRA SHIVHARE	
456.	EEID0400017	SHAIL AGRAWAL	
457.	EEID0400042	AMIT GUPTA	
458.	EEID0400044	PRAVEEN PATIDAR	
459.	EEID0400072	NITESH DURKHURE	
460.	EEID0400077	KULDEEP CHANDRAVANSHI	
461.	EEID0400159	ATUL KOTHARI	
462.	EEID0500020	SUNEEL KUMAR AHIRWAR	
463.	EEID0500023	SHIVAM JOHARI	
464.	EEID0500033	ABHINEET SHARMA	
465.	EEID0500043	VINOD PORWAL	
466.	EEID0500072	SANJEEV KUMAR SINGH	
467.	EEID0500109	SHARADMANI TIWARI	
468.	EEID0500117	ANKUR BONDE	
469.	EEID0500170	AATMARAM MORE	
470.	EEID0600080	RAVI RATHORE	
471.	EEID0600101	NISHI BAIS	
472.	EEID0600116	GOVIND KARODA	
473.	EEID0600150	GOVIND SURYAVANSHI	
474.	EEID0700097	NITIN KUMAR DUBEY	
475.	EEID0800018	VIKAS MOURYA	
476.	EEID0800027	ASHOK PATIDAR	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
477.	EEID0800062	DARPAR KANOJIYA	
478.	EEID0800103	GOVIND PATIDAR	
479.	EEID0800112	RAJESHWAR SURYAVANSHI	
480.	EEID0800129	SANDEEP KUMAR NIGWAL	
481.	EEID0800172	RAHUL PATIDAR	
482.	EEID0900002	PRATIK SHARMA	
483.	EEID0900058	SURAJ SISODIYA	
484.	EEID0900084	KAMLESH PATEL	
485.	EEID0900086	TARUN SOLANKI	
486.	EEID0900098	DIVYAM GARG	
487.	EEID0900192	SAMRATH PANWAR	
488.	EEID0900199	KAPIL DHAWAN	
489.	EEID0900211	AKANKSHA TIWARI	
490.	EEID1000005	ROHIT MALVIYA	
491.	EEID1000039	BHAVANA CHOUDHARY	
492.	EEID1000074	PALAK AGRAWAL	
493.	EEID1000089	ANKITA GOYAL	
494.	EEID1000170	SAURABH RAHANGDALE	
495.	EEID1100001	AMIT KUMAR VYAS	
496.	EEID1100009	LOKENDRA SINGH DANGI	
497.	EEID1100050	HIMANSHU JAIN	
498.	EEID1100063	UMAKANT CHOUDHARY	
499.	EEID1100111	GAURAV DANE	
500.	EEID1100148	KRISHNKANT PATEL	
501.	EEID1100179	AMAN SINGH NAHAR	
502.	EEID1100187	ARTI PATEL	
503.	EEID1200025	MOHIT PATIDAR	
504.	EEID1200078	ANJALI DHAKAR	
505.	EEID1200097	VAIBHAV MISHRA	
506.	EEID1300008	HARDIK JAIN	
507.	EEID1300016	PIYUSH KUMAR JAISWAL	
508.	EEID1300059	RAHUL BAIRAGI	
509.	EEID1300064	SANDEEP BENIWAL	
510.	EEID1300099	HIMANSHU GURJAR	
511.	EEID1400046	MAYANK SONI	
512.	EEID1400061	RAHUL MANDLIYA	
513.	EEID1400064	NIRMAL PATIDAR	
514.	EEID1500009	AYUSH SINGH	
515.	EEID1500033	DHEERAJ AKHAND	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
516.	EEID1500077	VAIBHAV BHAWSAR	
517.	EEID1500086	VIRAL PATEL	
518.	EEID1500112	BHOOPENDRA SINGH THAKUR	
519.	EEID1500143	BHARAT SOLANKI	
520.	EEID1500184	DIPESH WASPAT	
521.	EEID1500230	KESHAV LODHA	
522.	EEID1500239	SAURAV SHIVHARE	
523.	EEID1500241	PRATEEK MUKATI	
524.	EEID1600001	DEEPSHIKHA DWIVEDI	
525.	EEID1600056	MAHESH KUMAR PATIDAR	
526.	EEID1600106	ASHISH PANDEY	
527.	EEID1600126	SATISH KUMAR KAIRANA	
528.	EEID1600129	RAVI KOTAGI	
529.	EEID1700026	MOHAMMAD MEHRAN KHOKAR	
530.	EEID1700046	ASHISH KUMAR GOUR	
531.	EEID1700059	MITIKA FARKYA	
532.	EEID1700079	SHUBHAM DUBEY	
533.	EEID1700089	RAVI PANCHAL	
534.	EEID1800010	UMASHANKAR SHARMA	
535.	EEID1800040	RISHABH KUMAR SAHU	
536.	EEID1800047	SAUMITRA NAMDEO	
537.	EEID1800062	AMIT NARGESH	
538.	EEID1800065	MINESH MAHESHWARI	
539.	EEID1800066	PANKAJ SOLANKI	
540.	EEID1800068	RAJBAHADUR SINGH SHRIMAL	
541.	EEID1800087	SATYENDRA PRATAP SINGH CHAUHAN	
542.	EEID1800117	YATAN SHARMA	
543.	EEID1800124	ARIHANT FAUDAR	
544.	EEID1800128	ARUN DESHWALI	
545.	EEID1800160	MANDEEP DAWAR	
546.	EEID1900009	ASHIM VATSA	
547.	EEID1900031	SHEETAL VERMA	
548.	EEID1900072	NIRAJ KUMAR YADAV	
549.	EEID1900074	SAURABH RAIKWAR	
550.	EEID1900076	JAYPAL RATHOUR	
551.	EEID1900166	SUNIL PARIHAR	
552.	EEID1900208	HARSHAD AGRAWAL	
553.	EEID1900216	RAKESH YADAV	
554.	EEID1900219	MAHESH GOYAL	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
555.	EEID1900239	SHRINGERI SHARMA	
556.	EEID2000034	PUSHPENDRA RAWAT	
557.	EEID2000040	RAHUL UIKEY	
558.	EEID2000044	LALIT CHOUDHURY	
559.	EEID2000069	KRISHNA KUMAR YADAV	
560.	EEID2000075	ASHOK MUKATI	
561.	EEID2000086	VASU VIDYASIR	
562.	EEID2000087	DIVYA SINGH DODVE	
563.	EEID2000111	MAHAK NEEMA	
564.	EEID2000169	ALI ASGER BHARAWALA	
565.	EEID2100031	DEEPAK SONI	
566.	EEID2100032	HIMANSHU JAISAWAL	
567.	EEID2100061	SANDHYA TALE	
568.	EEID2100064	KISHAN VEER YADAV	
569.	EEID2100074	PRATIKSHA ATTARDE	
570.	EEID2100093	SURAJ JHANIYA	
571.	EEID2100108	PREETI DINKER	
572.	EEID2100136	LAVESH RATHORE	
573.	EEID2100162	JYOTSANA AGRAWAL	
574.	EEID2100181	PRAVEEN AHIRWAR	
575.	EEID2100193	PRITI PRAJAPATI	
576.	EEID2200009	VARSHA AWASTHI	
577.	EEID2200029	VARSHA SHIVPURE	
578.	EEID2200062	AKSHAY BAFNA	
579.	EEID2200072	VAIBHAV KANUGO	
580.	EEID2200076	PMAHESH RAO	
581.	EEID2200106	KIRAN JAT	
582.	EEID2200113	MEENAKSHI KHANDAGLE	
583.	EEID2200145	PRANAY RATHORE	
584.	EEID2200161	PRADEEP RATHOR	
585.	EEID2200168	ABHISHEK PANWAR	
586.	EEID2300147	JAGENDRA SINGH	
587.	EEID2300164	ASHISH KUMAR TRIYAL	
588.	EEID2300185	SUNIL SINGH JADOUN	
589.	EEID2300190	RISHI RAJ	
590.	EEID2300205	ANUPAM TOMAR	
591.	EEJB0100010	SHUBHAM SONI	
592.	EEJB0100073	RAMBABU KUMAR	
593.	EEJB0100091	NAWNEET KUMAR SINGH	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
594.	EEJB0100105	CHANDAN SINGH	
595.	EEJB0100158	PRAMOD KUMAR SHUKLA	
596.	EEJB0100184	SAKSHI PATEL	
597.	EEJB0100202	AAYUSHI UPADHYAY	
598.	EEJB0100242	GIRISH KAMBLEY	
599.	EEJB0200044	SOURABH PAROHA	
600.	EEJB0200132	SAGAR AGRAWAL	
601.	EEJB0200142	SHIVANI .	
602.	EEJB0200162	SUJEET KUMAR RAI	
603.	EEJB0200168	RAHUL VERMA	
604.	EEJB0200196	ANSHUMAN SINGH	
605.	EEJB0300002	SANIL JAIN	
606.	EEJB0300028	NITISH KUMAR	
607.	EEJB0300042	VEERENDRA SINGH THAKUR	
608.	EEJB0300089	NITIN PANDEY	
609.	EEJB0300094	RAVI KUMAR VISHWAKARMA	
610.	EEJB0300111	ANAMIKA BHAGAT	
611.	EEJB0300147	SAJAL JAIN	
612.	EEJB0400014	SAMEER KUMAR JHA	
613.	EEJB0400029	VAIBHAV BAJPAI	
614.	EEJB0400050	SOMENDRA SURYAVANSHI	
615.	EEJB0400072	ABHISHEK MISHRA	
616.	EEJB0400102	ADITYA SINGH RATHOR	
617.	EEJB0400112	MANOJ KUMAR GUPTA	
618.	EEJB0500107	SHASHI KANT	
619.	EEJB0600017	VARUN KUMAR RAIKWAR	
620.	EEJB0600076	NITIN PATEL	
621.	EEJB0600094	SHIVAM SINHA	
622.	EEJB0600111	RAMKRISHNA LODHI	
623.	EEJB0600130	MANALI PANDEY	
624.	EEJB0600163	SUMIT SHUKLA	
625.	EEJB0700135	VIKALP KUMAR PATEL	
626.	EEJB0800003	VATSAL SRIVASTAVA	
627.	EEJB0800007	SOUHARD MATRE	
628.	EEJB0900038	ADARSH SHUKLA	
629.	EEJB0900153	GAURAV GAUTAM	
630.	EEJB0900161	JAGDISH RAJPOOT	
631.	EEJB0900186	SRIANSHI SRIVASTAV	
632.	EEJB0900201	VIKRAM AWASHYA	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
633.	EEJB0900204	SAMIKSHA JAIN	
634.	EEJB0900230	NEERAJ KUMAR KAURAV	
635.	EEJB0900236	KUMAR ABHISHEK	
636.	EEJB0900246	SANKAT MOCHAN MISHRA	
637.	EEJB1000071	SHAILENDRA SINGH KOURAV	
638.	EEJB1000092	AKASH PODDAR	
639.	EEJB1000102	DILEEP KUMAR VERMA	
640.	EEJB1000113	VARSHA MISHRA	
641.	EEJB1000164	KRISHAN KUMAR CHATURVEDI	
642.	EEJB1000168	GAURAV KUMAR SAHU	
643.	EEJB1000210	MANISH PATKAR	
644.	EEJB1100008	BITTU KUMAR	
645.	EEJB1100045	GOPAL SINGH	
646.	EEJB1100048	SHRADDA PATHAK	
647.	EEJB1100057	RITURAJ SINGH	
648.	EEJB1100060	ANURAG TRIPATHI	
649.	EEJB1200094	WAIBHAW KUMAR	
650.	EEJB1300028	REETIKA GUPTA	
651.	EEJB1300045	KARTIK PATEL	
652.	EEJB1300106	AJAY KUMAR PANDIT	
653.	EEJB1500007	RICHA SRIVASTAVA	
654.	EEJB1500014	SHRADDA TRIPATHI	
655.	EEJB1500113	PRIYANSHA DUBEY	
656.	EEJB1500136	PRAGYA SWAMI	
657.	EEJB1500146	ATUL MISHRA	
658.	EEJB1600067	MEGHA SWAMI	
659.	EEJB1600069	MOHIT MISHRA	
660.	EEJB1700039	VIVEKANAND TIWARI	
661.	EEJB1700086	ANAND PURUSHOTTAM BAKSHI	
662.	EEJB1700094	KULDEEP VERMA	
663.	EEJB1700095	AYUSHI KARWARIA	
664.	EEJB1800008	NITESH SAHU	
665.	EEJB1800029	ASHOK KUMAR SHAH	
666.	EEJB1800036	KASHISH NAYAK	
667.	EEJB1800049	VINAY KUMAR SHARMA	
668.	EEJB1800054	MANISH GUPTA	
669.	EEJB1800080	RIZWAN KHAN	
670.	EEJB1800089	NITYANAND BILKHARE	
671.	EEJB1800343	BHARAT SINGH RAJPOOT	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
672.	EEJB1800347	SAURAV SHASHI	
673.	EEJB1800356	KUNVER RISHABH SINGH	
674.	EEJB1800364	ANANT PRAKASH PANDEY	
675.	EEJB1800387	BADAL KUMAR	
676.	EEJB1900222	SHUBHAM SHARMA	
677.	EEJB1900249	VIVEK RANJAN PANDEY	
678.	EEJB1900259	AJAY CHAUBEY	
679.	EEJB1900260 S	HIVENDRA SHARMA	
680.	EEJB1900263	ANKIT PARASHAR	
681.	EEJB1900281	FARAZ ARSHAD	
682.	EEJB1900282	CHITRANSHU ...	
683.	EEJB1900302	MANISH KUMAR PATEL	
684.	EEJB2000094	SAGAR SHUKLA	
685.	EEJB2000112	GAURAV KANT	
686.	EEJB2000122	PRASHANT TRIPATHI	

**MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION  
STATE ENGINEERING SERVICE MAIN EXAM 2014 (ELECTRICAL)  
ROLL NO WISE LIST OF CANDIDATES ELIGIBLE FOR INTERVIEW**

S.No.	Roll No.	Name	Remark
1.	EEBH0100220	DEEPIKA TIWARI	
2.	EEBH0900342	RAHUL SINGH	
3.	EEBH0900364	NITESH SHARMA	
4.	EEBH0900490	HIMANSHU RAIKWAR	
5.	EEBH1000273	MOHIT KASANYA	
6.	EEBH1000315	UDIT TARAN	
7.	EEBH1000345	SUNIL KUMAR SHAHU	
8.	EEBH1500244	PRADEEPTI LAKRA	
9.	EEBH1800311	SHAILU TIWARI	
10.	EEBH1900250	ANKIT PATEL	
11.	EEBH1900298	RAHUL MODI	
12.	EEBH2100300	ALOK YADAV	
13.	EEBH2100331	SIDDHARTH YADU	
14.	EEBH2200222	NAVEEN BISEN	
15.	EEBH2200272	DEEKSHA JAIN	
16.	EEBH2300150	SUNIL KUMAR JATAV	
17.	EEBH2300269	RITIKA SHARMA	
18.	EEBH2400257	NEERAJ GOLE	
19.	EEBH2400295	NITESH BHADRASEN	
20.	EEBH2400392	SWATANTRA KUMAR JAIN	
21.	EEBH2400405	PANKAJ MANDRAH	
22.	EEBH2500294	ROSHNI BHAGAT	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
23.	EEBH2500312	REENA PANDEY	
24.	EEBH2500447	VIPIN KUMAR PANDEY	
25.	EEBH2600326	ASHUTOSH TRIPATHI	
26.	EEBH2700220	SHIVANGI GUPTA	
27.	EEBH2700285	CHANDRA PRAKASH SAHU	
28.	EEBH3400306	SANDEEP DUDI	
29.	EEBH3400318	DEEPAK BISEN	
30.	EEBH3400435	MAUSAM JAIN	
31.	EEBH3500145	SAKSHI THAKUR	
32.	EEBH3500204	ANKIT KUMAR GAUTAM	
33.	EEBH3600176	DRISHTI PATEL	
34.	EEBH3600194	NISHANT KUMAR CHOURASIA	
35.	EEGW0100115	ASHISH GUPTA	
36.	EEGW0300140	SACHIN GUPTA	
37.	EEGW0400166	AMIT SHARMA	
38.	EEGW0400215	AMIT KUMAR SINGH	
39.	EEGW0600306	ADITYA SINGH	
40.	EEGW0700157	AJIT KUMAR SINGH	
41.	EEGW0800188	BHASKAR JHA	
42.	EEGW0800248	NAMAN VARSHNEY	
43.	EEGW0800257	MANOJ KUMAR RANA	
44.	EEGW0800297	ATUL SINGH	
45.	EEGW1100113	MOHIT SHARMA	
46.	EEGW1100142	YOGESH KUMAR DANDOTIYA	
47.	EEGW1100180	RUPESH KUMAR DANGI	
48.	EEGW1100205	AYUSHI SACHAN	
49.	EEGW1200141	AMIT SRIVASTAVA	
50.	EEGW1200161	SWATI RAJPUT	
51.	EEGW1200191	ROHIT GUPTA	
52.	EEGW1200193	MANJEET SINGH DEWDA	
53.	EEGW1200210	HIMANSHU UPADHYAYA	
54.	EEGW1300111	MADAN KUMAR	
55.	EEGW1300117	ANKIT GOYAL	
56.	EEGW1300198	KANCHAN PATEL	
57.	EEID0100220	RAHUL KAPSE	
58.	EEID0200192	RAJESH GUPTA	
59.	EEID0200246	SANDEEP PATIDAR	
60.	EEID0200276	CHEENA CHOUHAN	
61.	EEID0200369	SUBHASH SINGH	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
62.	EEID0300324	NEHA NAGAR	
63.	EEID0400253	RUCHIKA DANDOTIA	
64.	EEID0500204	VIKAS MAHORE	
65.	EEID0800379	ANIRUDH SHARMA	
66.	EEID1000211	MINAKSHI SINGH BAGHEL	
67.	EEID1000255	NITESH PATIDAR	
68.	EEID1000256	NAMAN GUPTA	
69.	EEID1100301	PRAGYESH RAWAT	
70.	EEID1100304	KRATIKA PATWA	
71.	EEID2200294	NARAYAN PRASAD KUSHWAHA	
72.	EEJB0100276	VARUN KUMAR PATHAK	
73.	EEJB0200311	GOURAV DAHERIYA	
74.	EEJB0200395	GAURAV KUMAR PANDEY	
75.	EEJB0300168	RICHA MISHRA	
76.	EEJB1000340	AKASH DHAMNE	
77.	EEJB1300236	RAVINDRA KAUSHAL	
78.	EEJB1500219	ANOOP SHUKLA	
79.	EEJB1500237	ATUL KUMAR TIWARI	
80.	EEJB1500317	NITIN SINGOTIYA	
81.	EEJB1600147	YASHO LAXMI JAISWAL	
82.	EEJB1900161	PRABHAT KUMAR PATEL	
83.	EEJB1900194	PRATISHTHA RAI	

**MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION  
STATE ENGINEERING SERVICE MAIN EXAM 2014 (MECHANICAL)  
ROLL NO WISE LIST OF CANDIDATES ELIGIBLE FOR INTERVIEW**

S.No.	Roll No.	Name	Remark
1.	EEBH0200254	SUDHANSU SHARMA	
2.	EEBH0200277	VIKAS KUMAR	
3.	EEBH0700317	PANKAJ KUMAR SAHU	
4.	EEBH0700383	VIPIN VISHWAKARMA	
5.	EEBH0800315	INDER SINGH YADAV	
6.	EEBH0800461	KAVITA RAGHUVANSI	
7.	EEBH0800499	ANURAG RAWAT	
8.	EEBH0800514	BHIM KUMAR CHOURE	
9.	EEBH0900484	SUNIL KUMAR PATEL	
10.	EEBH0900517	DHARMENDRA SAHU	
11.	EEBH1000246	ROHIT KUMAR GUPTA	
12.	EEBH1100300	RAVI RAO	
13.	EEBH1100339	RAMSAGAR BAIS	
14.	EEBH1400283	ANURAG CHOUDHARY	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
15.	EEBH1900304	MOHIT BHATT	
16.	EEBH1900366	AMIT BORIKAR	
17.	EEBH2000318	PALAK TIWARI	
18.	EEBH2100429	PUSHPENDRA KUMAR VISHWAKARMA	
19.	EEBH2200161	AKASH GUPTA	
20.	EEBH2200183	MAHENDRA DONGRE	
21.	EEBH2200235	BINAY KUMAR PANDEY	
22.	EEBH2300260	RAHUL KUMAR MEHRA	
23.	EEBH2400294	MEGHA BANSAL	
24.	EEBH2400303	POONAM VISHWAKARMA	
25.	EEBH2400402	SHIKHA MISHRA	
26.	EEBH2400420	SWARNA RAWAT	
27.	EEBH2500317	ALANKAR KHARE	
28.	EEBH2500340	MEENAKSHI SINGH	
29.	EEBH2500392	SUMIT NAIK	
30.	EEBH2500496	SHASHANK VISHWAKARMA	
31.	EEBH2500519	DEEPAK PATEL	
32.	EEBH2600346	PRAVESH KUMAR BHARTI	
33.	EEBH2600386	AJAY TYAGI	
34.	EEBH2700267	AYUSH PATTIYA	
35.	EEBH3400325	VINAY SINGH YADAV	
36.	EEBH3500161	RAUNAK SRIVASTAVA	
37.	EEGW0100161	SRASTI GUPTA	
38.	EEGW0500216	REETIKA SRIVASTAVA	
39.	EEGW0600276	SHUBHANSU JAIN	
40.	EEGW1100193	ASHRAF BEG MIRZA	
41.	EEGW1200199	PRINSI JAIN	
42.	EEGW1300169	ANSHUL TIWARI	
43.	EEID0100326	MAYUR LOKHANDE	
44.	EEID0300261	PAWAN MALVIYA	
45.	EEID0300414	SWAPNIL NAGAR	
46.	EEID0300457	AWANTIKA MISHRA	
47.	EEID0400266	SONU NAVGOTRI	
48.	EEID0500234	VISHNU PRASAD BAMNIYA	
49.	EEID0500271	VIKAS CHOUDHARY	
50.	EEID0800235	KULDEEP KUSHWAH	
51.	EEID0800283	SAURABH SAXENA	
52.	EEID0800316	PRABHU BISHNOI	
53.	EEID0800327	MANISH KANNOJ	
54.	EEID1000215	SHRUTI LAAD	
55.	EEID1000268	VIKAS JAIN	
56.	EEID1700210	RAJESH GAUTAM	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
57.	EEID1800281	SHAILENDRA RATHORE	
58.	EEJB0100326	RAHUL SHRIVASTAVA	
59.	EEJB0100453	NITESH KUMAR MANU	
60.	EEJB0200498	HARSHIT TIWARI	
61.	EEJB0300243	MAHENDRA SINGH BAGRI	
62.	EEJB0400232	SURENDRA SINGH DHAKAD	
63.	EEJB1000257	PAWAN KUMAR PATEL	
64.	EEJB1400249	ANKIT KUMAR KHATARKAR	
65.	EEJB1500224	VINAY RANJAN KUMAR	
66.	EEJB1500262	CHANDRAPRATAP SINGH	
67.	EEJB1500334	SHUBHAM MISHRA	
68.	EEJB1700200	BRIJESH KUMAR KOL	
69.	EEJB1800205	SHUBHAM KUMAR BURMAN	

**MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION  
STATE ENGINEERING SERVICE MAIN EXAM 2014 (AGRICULTURE)  
ROLL NO WISE LIST OF CANDIDATES ELIGIBLE FOR INTERVIEW**

S.No.	Roll No.	Name	Remark
1.	EEBH0100220	DEEPIKA TIWARI	
1.	EEBH1100004	YESHWANT MANESHWAR	
2.	EEBH1400088	REETESH KUMAR PYASI	
3.	EEBH1900040	BHAGWAN SINGH NARWARIYA	
4.	EEBH2700175	KUMAR SONI	
5.	EEBH2800155	NEHA PACHLASIYA	
6.	EEBH3900383	VIVEK MORYA	
7.	EEGW0600105	SHREYA NIVESH	
8.	EEGW1200106	RAJESHWAR SANODIYA	
9.	EEID0900095	TRILOK CHAND PATIDAR	
10.	EEJB0100030	HEMANT KUMAR KURMI	
11.	EEJB0100102	SAMEER KUMAR PATEL	
12.	EEJB0200021	RAHUL SAHU	
13.	EEJB0200123	AMIT KUMAR PATIL	
14.	EEJB0200251	RASHMI SAHU	
15.	EEJB0300056	RAHUL RAGHUVANSHI	
16.	EEJB0400035	SAGAR NAGVANSHI	
17.	EEJB0400045	NIDHI MANIK	
18.	EEJB0600035	KAMLESH KAWDETI	
19.	EEJB0700107	MEGHA PATIL	
20.	EEJB0800090	VIJAYSHRI DAWAR	
21.	EEJB0900147	VAIBHAV PRAJAPAT	
22.	EEJB0900152	PRIYANKA SAKARE	
23.	EEJB0900192	AMIT SOLANKI	
24.	EEJB0900221	SHIVAM RAGHUVANSHI	
25.	EEJB1100022	TARUN KUMAR JAIN	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
26.	EEJB1300076	RASHI SHRIVASTAVA	
27.	EEJB1400055	PUSHPLATA AHERWAR	
28.	EEJB1500124	PRAVEEN KUMAR VISHWAKARMA	
29.	EEJB1800388	NAND LAL KUSHWAHA	
30.	EEJB1900228	PRAMOD KUMAR MEENA	

- महत्वपूर्ण टीप:**— 1. सूची में दर्शाएं गए प्रत्याशियों का परीक्षा परिणाम पूर्णतया प्रावधिक (प्रॉविजनल) है, यदि प्रत्याशी राज्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा-2014, के लिए अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो उनकी अर्हता समाप्त कर दी जाएगी।
2. राज्य अभियांत्रिकी सेवा कुछ परीक्षा-2014 के आवेदकों द्वारा आवेदन-पत्र में यदि त्रुटि पूर्ण, अपूर्ण, असत्य, भ्रामक जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा।
3. प्रावधिक अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर देखने के लिए उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर चर्चा की गई प्रत्याशियों की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।
4. राज्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा-2014 का परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटियां या लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।
5. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा।
6. राज्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा-2014 का परीक्षा परिणाम आवेदक आयोग की बेक्साईट [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in), [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com) एवं [www.mppscdemo.in](http://www.mppscdemo.in) पर देख सकेंगे एवं इसका प्रकाशन रोजगार और निर्माण के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाएगा।

दिनेश जैन,  
परीक्षा नियंत्रक।

(643-A)

## विविध

### न्यायालयों की सूचनाएं

#### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी/पंजीयक, पब्लिक ट्रस्ट, बरेली, जिला रायसेन

[धारा-5(2) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (30 सन् 1951 और 5 (1) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट 1962 के अंतर्गत]

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अनुसूची में दिये गये जायदाद मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा उप-धारा (4) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट है।

अतएव मैं, ओ. पी. सोनी, पंजीयक, ट्रस्ट उक्त एक्ट की धारा-5 की उपधारा (1) के अनुसार अपने न्यायालय में दिनांक 02 जून, 2016 इस मामले की जांच करना चाहता हूँ।

अतः यह सूचना दी जाती है कि निम्नांकित ट्रस्ट का कोई व्यक्ति ट्रस्ट की कार्यवाही में सदस्य या अन्य कोई व्यक्ति रुचि रखने वाला आपत्ति या सुझाव प्रकट करना चाहता है तो लिखित उत्तर दो प्रतियों में सूचना प्रकाशन की एक माह की अवधि के अन्दर प्रस्तुत करें, और उपरोक्त दिनांक को स्वयं या किसी अधिवक्ता या अधिकृत एजेन्ट द्वारा न्यायालय में उपस्थित हो। उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों में कोई विचार नहीं किया जावेगा।

### अधिसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता और चल/अचल सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम व पता . . . मंदिर श्री रामजानकी ग्राम हरसिली, तहसील बाड़ी, जिला रायसेन (म.प्र.)

(1) कार्यालयीन न्यासी एवं प्रबंधकों का विवरण :-

- भगवत् सिंह ठाकुर आ. श्री रामरत्न सिंह ठाकुर, आयु लगभग 71 वर्ष, निवासी-ग्राम हरसिली, अध्यक्ष

2. धनराज सिंह आ. श्री धर्मदास सिंह ठाकुर आयु लगभग 72 वर्ष, निवासी-ग्राम हरसिली.	वरिष्ठ उपाध्यक्ष
3. गुलाब सिंह आ. श्री रतन सिंह ठाकुर, आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी-ग्राम हरसिली.	कनिष्ठ उपाध्यक्ष
4. राजेश सिंह आ. श्री भैरव सिंह ठाकुर आयु लगभग 47 वर्ष, निवासी-ग्राम हरसिली.	सचिव
5. गोपाल सिंह आ. सदाराम ठाकुर आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी-ग्राम हरसिली.	कोषाध्यक्ष
6. गंगाराम आ. श्री गजराज सिंह ठाकुर आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी-ग्राम हरसिली.	सदस्य
7. मनमोद सिंह आ. श्री सेठराज ठाकुर आयु लगभग 52 वर्ष, निवासी-ग्राम हरसिली.	सदस्य
8. शंकर सिंह (बखा) आ. श्री बारेलाल ठाकुर आयु लगभग 56 वर्ष, निवासी-ग्राम हरसिली.	सदस्य
9. रघुवीर सिंह आ. हरचरणलाल ठाकुर आयु लगभग 75 वर्ष, निवासी-ग्राम हरसिली.	सदस्य
10. शंकरसिंह (कर्चली) आ. श्री निरपत सिंह ठाकुर आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी-ग्राम हरसिली.	सदस्य
11. माखनलाल दुबे आ. श्री नर्वदा प्रसाद दुबे आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी-ग्राम हरसिली.	सदस्य
12. तहसीलदार, तहसील बाड़ी (पदेन)	संरक्षक

न्यास के संबंध में यदि कोई स्कीम हो, तो उसके ब्यौरे संलग्न दस्तावेज न्यास विलेख के अनुसार रहेंगे—

(अ) अचल सम्पत्ति का विवरण.—

- अ. भूमि सर्वे क्र. 25/2 रकबा 0.07 एकड़.
- ब. भूमि सर्वे क्र. 39/1 रकबा 1.33 एकड़
- स. भूमि सर्वे क्र. 41/1/2 रकबा 3.00 एकड़
- द. धर्मशाला 30 वाय 30 फीट जिसके पूर्व में बारेलाल का मकान, पश्चिम में मंदिर, उत्तर में स्व. गोपाल सिंह का मकान, दक्षिण में सेवा सहकारी संस्था स्थित है.

(ब) चल सम्पत्ति का विवरण.—

एक तखत, एक स्टूल, एक बड़ा मचान, एक भगवान का झूला, एक भगवान का विमान, एक तावे का लोटा, एक ताँवे का छोटा जग, चार वाल्टी स्टील की, एक मिक्सी, एक पीतल की थाली, एक छोटी कढ़ाई, एक पीतल लोटा, एक गिलास, एक कोंचा बड़ा लोहे का, एक कल्ची बड़ी स्टील की, एक टंकी, टीन की बड़ी पेटी, एक लोहे की छोटी पेटी, एक चादर फर्स की माइक मशीन एक, हारमोनियम, ढोलक एवं मजीरा, दो बड़ी दरी छः ऊनी कम्बल.

(2) न्यास की आय के स्रोतः—

- 1. प्राकृतित मूल्य 20,00,000 रु.
- 2. कृषि भूमि की नीलामी एवं दान 20,000 रु.

न्यास की प्रमुख आमदानी का स्रोत न्यासी सदस्यों एवं दानदाताओं द्वारा दान की गई धनराशि है इसके अतिरिक्त न्यास शासन प्रदेश केन्द्र निगमित निकाय एवं अन्य किसी सार्वजनिक एवं निजी संस्थाओं से अनुदान प्राप्त करेगा।

(3) औसत वार्षिक आय.—60,000 रु./- रुपये अक्षरी साठ हजार रुपये प्रतिवर्ष).

न्यास की सदस्यता प्रबंधकारकों का गठन, उद्देश्य, दैनिक कार्यों की देखरेख, वित्तीय कार्यों की देखरेख, पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य से संबंधित है.

उक्त प्रस्तावित न्यास के सदस्यों/प्रबंधकों के सम्बंध में भी यदि किसी को आपत्ति हो वह दिनांक 25 अगस्त, 2016 को अथवा उसके पूर्व स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है.

ओ. पी. सोनी,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

(644)

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास अम्बाह, जिला मुरैना

#### प्रारूप-4

[नियम-5 (1) देखिए]

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 की धारा-5 (1) के तहत आवेदक श्री मातादीन शर्मा पुत्र बेदरीप्रसाद शर्मा जाति ब्रा., निवासी ग्राम-अमर पुरा द्वारा मंदिर श्री रामजानकी एवं श्री राधाकृष्ण जी महाराज स्थित ग्राम अमर पुरा, तहसील अम्बाह, जिला मुरैना मध्यप्रदेश के मध्यप्रदेश लोक न्यास पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास की तरह निर्दिष्ट की संपित्त के पंजीयन के लिये आवेदन पेश किया है। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 30 अगस्त, 2016 को विचार में लिया जायेगा। कोई व्यक्ति उक्त न्यास या सम्पत्ति में हक रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति व सुझाव रखता हो उसे इस सूचना द्वारा सूचित किया जाता है।

अतः मैं, दिनेशचन्द्र सिंधी, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास अम्बाह, जिला मुरैना अपने न्यायालय में दिनांक 30 अगस्त, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा-5(1) के द्वारा यथा अपेक्षित जाँच प्रस्तावित करता हूँ:

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास धारी या इससे हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिवस के अंदर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय में मेरे समक्ष उक्त दिनांक को या तो स्वयं या अभिभाषक या अधिकारी द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा।

#### अनुसूची

लोक न्यास का नाम और पता : मंदिर श्री रामजानकी एवं श्री राधाकृष्ण जी महाराज स्थित ग्राम अमर पुरा, तहसील अम्बाह, जिला मुरैना मध्यप्रदेश.

लोक न्यास की चल-अचल सम्पत्ति का विवरण—

चल सम्पत्ति : दैनिक पूजा पाठ का सामान तथा उपयोग में आने वाली सामग्री।

आज दिनांक 11अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

दिनेशचन्द्र सिंधी,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(645)

#### अन्य सूचनाएं

#### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 24 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/897.—सांवरिया बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नवादा, पंजीयन क्रमांक 1962, दिनांक 27 दिसम्बर, 2014 आदेश क्रमांक/परि./742, दिनांक 08 मार्च, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. एल. परमार, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जाना है।

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है।

अतः सहकारिता के सिद्धांतों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मैं, डॉ मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./742, दिनांक 08 मार्च, 2016 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अन्तर्गत सांविरया बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नवादा, पंजीयन क्रमांक 1962, दिनांक 27 दिसम्बर, 2014 को पुनर्जीवित करता हूँ साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबन्धक समिति का आगामी निर्वाचन होने तक श्री आर. एल. परमार, सहकारी निरीक्षक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(646)

उज्जैन, दिनांक 24 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/898.—मनकामनेश्वर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नादेड़, पंजीयन क्रमांक 2061, दिनांक 16 मार्च, 2015 आदेश क्रमांक/परि./862, दिनांक 21 मार्च, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री संतोष साकलिया, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जाना है।

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है।

अतः सहकारिता के सिद्धांतों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मैं, डॉ मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./862, दिनांक 21 मार्च, 2016 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अन्तर्गत मनकामनेश्वर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नादेड़, पंजीयन क्रमांक 2061, दिनांक 16 मार्च, 2015 को पुनर्जीवित करता हूँ साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबन्धक समिति का आगामी निर्वाचन होने तक श्री संतोष साकलिया, सहकारी निरीक्षक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(646-A)

उज्जैन, दिनांक 24 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/899.—जागृति बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., माकडोन, पंजीयन क्रमांक 2051, दिनांक 10 फरवरी, 2015 आदेश क्रमांक/परि./862, दिनांक 21 मार्च, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री संतोष सांकलिया, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जाना है।

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है।

अतः सहकारिता के सिद्धांतों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मैं, डॉ मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./862, दिनांक 21 मार्च, 2016 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अन्तर्गत जागृति बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., माकडोन, पंजीयन क्रमांक 2051, दिनांक 10 फरवरी, 2015 को पुनर्जीवित करता हूँ साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबन्धक समिति का आगामी निर्वाचन होने तक श्री संतोष सांकलिया, सहकारी निरीक्षक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(646-B)

उज्जैन, दिनांक 22 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1113, दिनांक 01 जून, 2012 द्वारा इन्दिरा प्रियदर्शिनी महिला बहुउद्देशीय सहकारिता मर्या., भाटपचलाना, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 39, दिनांक 12 मई, 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री बी. एस. पटेल, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 22 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(646-C)

उज्जैन, दिनांक 23 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1673.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	सनसाईन साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	119/07-10-2009

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 11 जुलाई, 2016 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है। संस्था ने वर्तमान में अकार्यशील होकर विगत वर्षों से कार्य करना बंद कर दिया। जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	सनसाईन साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	119/07-10-2009	श्री एस. एल. चौहान, स. नि.

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(646-D)

उज्जैन, दिनांक 23 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1673.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	श्री साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	144/08-07-2011

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 11 जुलाई, 2016 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है। संस्था ने वर्तमान में अकार्यशील होकर विगत वर्षों से कार्य करना बंद कर दिया। जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	श्री साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	144/08-07-2011	श्री आर. एल. नागर, स. नि.

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(646-E)

उज्जैन, दिनांक 23 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1673.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	तिरुपति महिला साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	99/11-07-2008

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु संस्था का जवाब पत्र वाहक के हस्ते संस्था के पंजीकृत पते पर भेजकर नियत तिथि 11 जुलाई, 2016 तक चाहा गया था। परन्तु पत्र वाहक द्वारा संस्था अध्यक्ष की मृत्यु 5-6 वर्ष पूर्व होने एवं उनका परिवार भी वहा नहीं रहना लिखा गया है। संस्था द्वारा पंजीकृत पते पर कार्य नहीं करने एवं वर्तमान में अकार्यशील होकर विगत वर्षों से कार्य करना बंद कर देने से यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	तिरुपति महिला साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	99/11-07-2008	श्री आर. एल. नागर, स. नि.

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(646-F)

उज्जैन, दिनांक 23 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1673.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	भारत कृषि उपज विप.सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1563/15-05-2001

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु संस्था का जवाब पत्र वाहक के हस्ते संस्था के पंजीकृत पते पर भेजकर नियत तिथि 11 जुलाई, 2016 तक चाहा गया था। परन्तु पत्र वाहक द्वारा संस्था का पता अपूर्ण होना एवं पता तलाश करने पर पता नहीं मिलना लिखा गया। संस्था द्वारा पंजीकृत पते पर कार्य नहीं करने एवं वर्तमान में अकार्यशील होकर विगत वर्षों से कार्य करना बंद कर देने से यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	भारत कृषि उपज विप.सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1563/15-05-2001	श्री आर. एल. नागर, स. नि.

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(646-G)

उज्जैन, दिनांक 23 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1673.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	दुर्घ सहकारी संस्था मर्या., धुरेरी	406/24-11-1976

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 11 जुलाई, 2016 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया है। संस्था ने वर्तमान में अकार्यशील होकर विगत वर्षों से कार्य करना बंद कर दिया। जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त

कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., धुरेरी	406/24-11-1976	श्री एस. एल. चौहान, स. नि.

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(646-H)

उज्जैन, दिनांक 23 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1673.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., डोंगरखेड़ा	532/16-05-1981

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु संस्था का जवाब पत्र वाहक के हस्ते संस्था के पंजीकृत पते पर भेजकर नियत तिथि 11 जुलाई, 2016 तक चाहा गया था। दिनांक 12-07-2016 को संस्था अध्यक्ष द्वारा उपस्थित होकर जावब प्रस्तुत किया गया जिसमें संस्था का अंकेक्षण कराये जाने हेतु 10 दिन का समय चाहा गया। परन्तु आज दिनांक तक संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था का अंकेक्षण कराये जाने हेतु संबंधित दस्तावेज इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। संस्था द्वारा वर्तमान में अकार्यशील होकर विगत् वर्षों से कार्य करना बंद कर देने से यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ, तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., डोंगरखेड़ा	532/16-05-1981	श्री राजेन्द्र वर्मा, स. नि.

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(646-I)

उज्जैन, दिनांक 23 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1673.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये :—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	125/01-07-2010

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु संस्था का जवाब पत्र वाहक के हस्ते संस्था के पंजीकृत पते पर भेजकर नियत तिथि 11 जुलाई, 2016 तक चाहा गया था। परन्तु पत्र वाहक द्वारा संस्था के पते पर दूसरा व्यक्ति निवास करना एवं पत्र में लिखे अनुसार पता नहीं मिलना लिखा गया है। संस्था द्वारा पंजीकृत पते पर कार्य नहीं करने एवं वर्तमान में अकार्यशील होकर विगत वर्षों से कार्य करना बंद कर देने से यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	125/01-07-2010	श्री आर. एल. नागर, स. नि.

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(646-J)

उज्जैन, दिनांक 23 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1673.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., गजनीखेड़ा	538/16-12-1981

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 11 जुलाई, 2016 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है। संस्था ने वर्तमान में अकार्यशील होकर विगत वर्षों से कार्य करना बंद कर दिया। जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., गजनीखेड़ा	538/16-12-1981	श्री एस. एल. चौहान, स. नि.

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(646-K)

उज्जैन, दिनांक 23 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1673.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	स्वास्तिक बीज सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	75/05-11-2004

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 11 जुलाई, 2016 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है। संस्था ने वर्तमान में अकार्यशील होकर विगत वर्षों से कार्य करना बंद कर दिया। जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	स्वास्तिक बीज सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	75/05-11-2004	श्री आर. एल. नागर, स. नि.

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(646-L)

उज्जैन, दिनांक 23 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1673.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	आस्था साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	23/30-04-2002

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 11 जुलाई, 2016 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है। संस्था ने वर्तमान में अकार्यशील होकर विगत वर्षों से कार्य करना बंद कर दिया। जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	आस्था साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	23/30-04-2002	श्री आर. एल. नागर, स. नि.

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(646-M)

उज्जैन, दिनांक 23 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1673.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	बलराम बीज सहकारी संस्था मर्या., गावड़ी (तराना)	148/13-06-2011

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 11 जुलाई, 2016 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है। संस्था ने वर्तमान में अकार्यशील होकर विगत वर्षों से कार्य करना बंद कर दिया। जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	बलराम बीज सहकारी संस्था मर्या., गावड़ी (तराना)	148/13-06-2011	श्री संतोष सांकलिया, स. नि.

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(646-N)

उज्जैन, दिनांक 23 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1673.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	कामधेनु बीज सहकारी संस्था मर्या., महिदपुर	109/03-10-2008

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 11 जुलाई, 2016 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है। संस्था ने वर्तमान में अकार्यशील होकर विगत वर्षों से कार्य करना बंद कर दिया। जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर

3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	कामधेनु बीज सहकारी संस्था मर्या., महिदपुर	109/03-10-2008	श्री राजेन्द्र वर्मा, स. नि.

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

मनोज जायसवाल,  
उप पंजीयक।

(646-O)

### कार्यालय परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना

सतना, दिनांक 04 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा, संभाग रीवा के आदेश क्रमांक/परि./भू.वि.अ./2016/126, रीवा, दिनांक 03 फरवरी, 2016 के द्वारा जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., सतना, पंजीयन क्रमांक 84, दिनांक 20 मार्च, 1962 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के तहत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम क्रमांक 57 (सी/ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समत दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में लेनदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेंव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 04 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

आर. पी. पाल,

उपायुक्त सहकारिता एवं परिसमापक।

(647)

### कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार

धार, दिनांक 30 जुलाई, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,

भारूड साख सहकारी संस्था मर्या., गुलज़रा।

क्र./परि./2016/1125.—भारूड साख सहकारी संस्था मर्या., गुलज़रा, तहसील धरमपुरी, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 30, दिनांक 18 फरवरी, 2005 है। कार्यालय जानकारी अनुसार संस्था वर्तमान में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम, 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुसार पंजीयन दिनांक से कार्य सम्पादित नहीं कर रही है। पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य नहीं करने से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है:-

1. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है।
2. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है।
3. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं।
4. संस्था की वित्तीय स्थिति ठीक न होकर भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है।
5. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा।

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला-धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओं सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे। इस सम्बन्ध में यदि आपको आगामी पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 19 अगस्त, 2016 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

ओ. पी. गुप्ता,  
उप-रजिस्ट्रार,

(648)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 06 अगस्त, 2016

#### संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1344.—यह कि म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत पूर्व में समय-समय पर प्रसारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुये मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा जो मुझे प्रदत्त है पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री डी. एस. दुबे, स. नि. उप-अंकेशक के स्थान पर समिति प्रबंधक कृषक सेवा सहकारी समिति मर्या., खापरखेड़ा को अधोलिखित परिसमापित सहकारी संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खापरखेड़ा	2199/30-07-1983	182/30-01-2015

यह आदेश आज दिनांक 06 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(649)

होशंगाबाद, दिनांक 06 अगस्त, 2016

#### संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1344.—यह कि म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत पूर्व में समय-समय पर प्रसारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुये मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा जो मुझे प्रदत्त है पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री डी. एस. दुबे, स. नि. उप-अंकेशक के स्थान पर समिति प्रबंधक कृषक सेवा सहकारी समिति मर्या., शिवपुर को अधोलिखित परिसमापित सहकारी संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शिवपुर	2132/26-08-1982	1197/04-07-2016

यह आदेश आज दिनांक 06 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(649-A)

होशंगाबाद, दिनांक 06 अगस्त, 2016

**संशोधित आदेश**

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1346.—यह कि म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत पूर्व में समय-समय पर प्रसारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुये मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा जो मुझे प्रदत्त है पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री एस. के. पाटक, व. स. नि. के स्थान पर समिति प्रबंधक सेवा सहकारी समिति मर्या., सोमलवाड़ा को अधोलिखित परिसमापित सहकारी संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सोमलवाड़ा	2141/06-10-1982	1039/11-07-2001

यह आदेश आज दिनांक 06 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(649-B)

होशंगाबाद, दिनांक 06 अगस्त, 2016

**संशोधित आदेश**

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1347.—यह कि म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत पूर्व में समय-समय पर प्रसारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुये मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा जो मुझे प्रदत्त है पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री एस. के. गुप्ता, स. नि. के स्थान पर समिति प्रबंधक कृषक सेवा सहकारी समिति मर्या., चांदौन को अधोलिखित परिसमापित सहकारी संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चांदौन	2233/12-10-1984	988/30-05-2016

यह आदेश आज दिनांक 06 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(649-C)

होशंगाबाद, दिनांक 06 अगस्त, 2016

**संशोधित आदेश**

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1348.—यह कि म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत पूर्व में समय-समय पर प्रसारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुये मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा जो मुझे प्रदत्त है पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री जी. पी. गहलोत, स. नि. के स्थान पर समिति प्रबंधक कृषक सेवा सहकारी समिति मर्या., सांडिया को अधोलिखित परिसमापित सहकारी संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सांडिया	2732/18-10-1984	337/07-03-2015

यह आदेश आज दिनांक 06 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

के. पाटनकर,  
उप पंजीयक।

(649-D)

## कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी संस्थाएं, बैतूल

बैतूल, दिनांक 30 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/826.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 की धारा-69 के अन्तर्गत सरस्वति विद्या मंदीर उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बैतूल, विकासखण्ड बैतूल, पंजीयन क्रमांक 1794, दिनांक 25 मार्च, 2015 को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/340, दिनांक 31 मार्च, 2016 द्वारा मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

उक्त सहकारी संस्था से मुझे किसी प्रकार का कोई रिकार्ड अथवा दस्तावेज तथा डेड स्टाक आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) को उपयोग में लाते हुए मैं, प्रकाश बत्रा, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, बैतूल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्था से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अन्दर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि की समाप्ती के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे। संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर देवें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे।

(650)

बैतूल, दिनांक 30 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/827.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 की धारा-69 के अन्तर्गत बैतूल कपड़ा एवं जनरल सहकारी संस्था मर्या., बैतूल, विकासखण्ड बैतूल, पंजीयन क्रमांक 1796, दिनांक 25 मार्च, 2015 को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/337, दिनांक 31 मार्च, 2016 द्वारा मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

उक्त सहकारी संस्था से मुझे किसी प्रकार का कोई रिकार्ड अथवा दस्तावेज तथा डेड स्टाक आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) को उपयोग में लाते हुए मैं, प्रकाश बत्रा, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, बैतूल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्था से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अन्दर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि की समाप्ती के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे। संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर देवें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे।

(650-A)

बैतूल, दिनांक 30 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/828.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 की धारा-69 के अन्तर्गत सर्वब्राह्मण समाज साख सहकारी संस्था मर्या., बैतूल, विकासखण्ड बैतूल, पंजीयन क्रमांक 1803, दिनांक 25 मार्च, 2015 को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/336, दिनांक 31 मार्च, 2016 द्वारा मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

उक्त सहकारी संस्था से मुझे किसी प्रकार का कोई रिकार्ड अथवा दस्तावेज तथा डेड स्टाक आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) को उपयोग में लाते हुए मैं, प्रकाश बत्रा, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, बैतूल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्था से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अन्दर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के

कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि की समाप्ति के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तररदायी रहेंगे. संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर देवें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे.

(650-B)

बैतूल, दिनांक 30 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/829.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 की धारा-69 के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/621, दिनांक 21 जून, 2016 द्वारा मुझे निम्नानुसार संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है।

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड
1.	आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., खण्डारा	1639/30-10-2010	बैतूल
2.	शास. कर्म. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बैतूल	1084/05-07-1984	बैतूल
3.	पाटीदार फर्नीचर उद्योग सहकारी संस्था मर्या., बैतूल	1524/27-12-2005	बैतूल
4.	पुलिस कर्म. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बैतूल	1066/27-09-1983	बैतूल
5.	बोलबम बारदाना क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., बैतूल	1612/29-09-2009	बैतूल
6.	विश्वकर्मा औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., बैतूल	1012/19-01-1982	बैतूल
7.	खेड़ला कृषक विप. सहकारी संस्था मर्या., बैतूल	1799/25-03-2015	बैतूल
8.	जनशक्ति साख सहकारी संस्था मर्या., दभेरी	1807/25-03-2015	बैतूल
9.	सांपना बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., बैतूल बाजार	1756/14-02-2001	बैतूल
10.	जनजीवन साख सहकारी संस्था मर्या., थावड़ी	1809/25-03-2015	बैतूल

उपरोक्त सहकारी संस्था से मुझे किसी प्रकार का कोई रिकार्ड अथवा दस्तावेज तथा डेड स्टाक आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) को उपयोग में लाते हुए मैं, प्रकाश बत्रा, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, बैतूल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्था से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अन्दर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि की समाप्ति के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तररदायी रहेंगे. संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर देवें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे।

प्रकाश बत्रा,

परिसमापक.

(650-C)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी संस्थाएं, बैतूल

बैतूल, दिनांक 06 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/857.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 की धारा-69 के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/622, दिनांक 21 जून, 2016 द्वारा मुझे निम्नानुसार सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है।

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	विकासखण्ड
1.	सूर्या बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., हिंडली	1797/14-07-2014	आठनेर
2.	अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., आठनेर	1758/14-07-2014	आठनेर

उक्त सहकारी संस्था से मुझे किसी प्रकार का कोई रिकार्ड अथवा दस्तावेज तथा डेड स्टाक आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) को उपयोग में लाते हुए मैं, के. एल. राठौर, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, बैतूल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्था से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अन्दर मय-प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि की समाप्ति के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे। संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो तो वह भी 60 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर देवें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे।

के. एल. राठौर,

परिसमापक.

(650-D)

### कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला छतरपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

उपायुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी सोसायटी, जिला छतरपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	राजमाता ईंधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., महाराजपुर	18/02-08-2004	1106/03-08-2016
2.	माँ महिला ईंधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., महाराजपुर	16/22-07-2004	1108/03-08-2016
3.	स्पष्टि ईंधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., महाराजपुर	13/06-07-2004	1109/03-08-2016
4.	अम्बेडकर श्रम ठेका उद्योग सहकारी समिति मर्या., महाराजपुर	1061/08-11-2004	1110/03-08-2016
5.	हरिजन कुकुट सहकारी समिति मर्या., फुलारी	977/29-01-2004	1111/03-08-2016

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय-प्रमाण पत्र के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे, यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

आज दिनांक 12 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

आर. सी. अग्रवाल,

परिसमापक/वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(651)

### कार्यालय परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सतना

दिनांक 03 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र. क्यू./16/क्यू.1.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेश क्र./परि./14, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है। परिसमापन में लायी गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	दुर्घ सहकारी समिति मर्या., देवलाल	778/24-08-2012	परि./16/860/01-06-2016

1	2	3	4
2.	दुग्ध सहकारी समिति मर्या., गहिरा	780/07-09-2012	परि./16/861/01-06-2016
3.	दुग्ध सहकारी समिति मर्या., नीमी	781/07-09-2012	परि./16/862/01-06-2016
4.	दुग्ध सहकारी समिति मर्या., बरूआ	783/17-10-2012	परि./16/863/01-06-2016
5.	दुग्ध सहकारी समिति मर्या., करिहार	787/23-02-2013	परि./16/864/01-06-2016
6.	दुग्ध सहकारी समिति मर्या., सिंहपुर	789/06-03-2013	परि./16/865/01-06-2016
7.	दुग्ध सहकारी समिति मर्या., बीरपुर	666/23-10-2012	परि./16/866/01-06-2016
8.	दुग्ध सहकारी समिति मर्या., नकेला	634/23-10-2010	परि./16/867/01-06-2016

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस में) मय-साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

रचई प्रसाद,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।

(652)

### कार्यालय परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सतना

दिनांक 27 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/क्यू.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेश द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है। परिसमापन में लायी गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चकर गोहान	646/11-12-2010	838/01-06-2016
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रेऊआ खुर्द	647/11-12-2010	839/01-06-2016
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सुजावल	649/11-12-2010	840/01-06-2016
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पवैया	653/11-12-2010	841/01-06-2016
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भाजीखेरा	710/30-09-2011	842/01-06-2016
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सुरदहा	733/22-02-2012	843/01-06-2016
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करतहा	730/14-02-2012	844/01-06-2016

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस में) मय-साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में

उसका दावा (क्लोम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्थाओं के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी/संस्थाओं का पास संस्थाओं का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

गेहचन्द्र पटेल,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(653)

### कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 25 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/Q.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं, जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया हैः—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुडभेली	455/21-12-1987	1267/21-07-2016
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भीमाखेडी	255/30-12-1983	1268/21-07-2016

अतः मैं, एल. एस. ठाकुर, परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से 02 माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(654)

### कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 25 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न सहकारी संस्था, जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया हैः—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	मारुति साख सहकारी संस्था मर्या., आगर	941/07-06-2006	1274/21-07-2016

अतः मैं, एम. के. भटनागर, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से 02 माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

एम. के. भटनागर,

(655) परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

### कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 25 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न सहकारी संस्था, जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सोयतकलां	1047/09-05-2011	1271/21-07-2016

अतः मैं, आर. एस. जरिया, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से 02 माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

आर. एस. जरिया,

(657) परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

### कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 01 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/Q.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न सहकारी संस्था, जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मदकोटा	198/07-09-1981	1264/21-07-2016

अतः मैं, आर. एस. गरेटिया, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से 02 माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

आर. एस. गरेठिया,  
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(658)

### कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 25 जुलाई, 2016

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत ]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न सहकारी संस्था, जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत् मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	माँ बगलामुखी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नलखेड़ा	1020/05-05-2010	1270/21-07-2016

अतः मैं, बी. एस. सौलंकी, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से 02 माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

बी. एस. सौलंकी,  
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(659)

### कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 25 जुलाई, 2016

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत ]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न सहकारी संस्था, जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत् मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	श्रीकृष्ण साख सहकारी संस्था मर्या., बडागाँव	861/02-02-2001	1275/21-07-2016

अतः मैं, सुरेन्द्र जैन, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से 02 माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

सुरेन्द्र जैन,

(660)

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।

### कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 25 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न सहकारी संस्था, जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत् मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपलखेड़ी	360/07-02-1986	1266/21-07-2016

अतः मैं, पं. विनोद शर्मा, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से 02 माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

विनोद शर्मा,

(661)

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।

### कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 25 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न सहकारी संस्था, जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत् मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	शंकर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सोयतकलां	1068/08-08-2012	1273/21-07-2016

अतः मैं, के. के. कांगली, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से 02 माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

के. के. कांगले,

(662)

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

### कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 25 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं, जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	महिला दुर्ग उत्पादक सहकारी संस्थ मर्या., पालखेड़ी	82/19-10-2015	1232/18-07-2016
2.	गायत्री प्राथमिक उपधोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बडौद	944/31-07-2006	1272/21-07-2016

अतः मैं, मोहम्मद आरिफ खान, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से 02 माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

मोहम्मद आरिफ खान,

(663)

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

### कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 25 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न सहकारी संस्था, जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	दुर्ग उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कानड	178/20-09-1980	1265/21-07-2016

अतः मैं, योगेश शर्मा, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से 02 माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

**योगेश शर्मा,**

(664)

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

### कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 25 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न सहकारी संस्था, जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत् मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़गाँव	394/27-11-1986	1276/21-07-2016

अतः मैं, गोपाल माहेश्वरी, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से 02 माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

**गोपाल माहेश्वरी,**

परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(665)

### कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 23 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं, जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत् मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	महिला दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., निपानिया हनुमान	47/23-02-2015	1170/11-07-2016
2.	महिला दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ढाबला पिपलोन	40/22-01-2015	1171/11-07-2016
3.	महिला दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेडा	49/23-02-2015	1172/11-07-2016

अतः मैं, एम. के. भट्टनागर, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से 02 माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

एम. के. भटनागर,

परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(666)

### कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 18 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं, जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत् मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सालरिया	88/30-11-2015	1149/11-07-2016
2.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छापरिया	35/19-01-2015	1150/11-07-2016
3.	वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मंदिरबाला डेरा	763/28-07-2001	1151/11-07-2016

अतः मैं, आर. एस. जरिया, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से 02 माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

आर. एस. जरिया,

परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(667)

### कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 18 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/Q.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं, जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत् मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आक्या	41/22-01-2015	1158/11-07-2016
2.	बैजनाथ बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लाला	45/24-01-2015	1159/11-07-2016
3.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लोटिया किशना	37/22-01-2015	1160/11-07-2016

अतः मैं, आर. एस. गरेठिया, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से 02 माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा

में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

आर. एस. गरेटिया,

परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक।

(668)

### कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं, जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत् मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश
			क्रमांक व दिनांक
1.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गरेली	79/05-10-2015	1179/11-07-2016
2.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपल्या सोनगरा	16/12-11-2014	1180/11-07-2016
3.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दावतपुर	26/05-01-2015	1181/11-07-2016

अतः मैं, बी. एस. सौलंकी, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से 02 माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

बी. एस. सौलंकी,

परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक।

(669)

### कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 23 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं, जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत् मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश
			क्रमांक व दिनांक
1.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवली	29/11-01-2015	1176/11-07-2016
2.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आम्बादेव	30/14-01-2015	1177/11-07-2016
3.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रलायती	39/22-01-2015	1178/11-07-2016

अतः मैं, सुरेन्द्र जैन, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से 02 माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

सुरेन्द्र जैन,

(670)

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

### कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं, जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	सरदार वल्लभ भाई पटेल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ठिकरिया.	14/11-05-2014	1152/11-07-2016
2.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोंदलमठ	33/19-11-2015	1153/11-07-2016
3.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पानखेडी	17/12-11-2014	1154/11-07-2016

अतः मैं, पं. विनोद शर्मा, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से 02 माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

विनोद शर्मा,

(671)

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

### कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 18 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं, जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के

तहत मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	महिला दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लिंगोडा	36/19-01-2015	1161/11-07-2016
2.	महिला दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अनुपूरा	62/15-06-2015	1162/11-07-2016
3.	श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुलमडी	54/18-03-2015	1163/11-07-2016

अतः मैं, के. के. कांगले, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से 02 माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

के. के. कांगले,

(672)

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।

### कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला कटनी

कटनी, दिनांक 26 जुलाई, 2016

क्र./संपक/परि./16/1018.—पंचशील प्रा. उप. सह. भण्डार मर्या., महात्मा गांधी वार्ड, कटनी, पं. क्र. 163, दिनांक 06 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/संपक/परिसमापन/313, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये पंचशील प्रा. उप. सह. भण्डार मर्या., महात्मा गांधी वार्ड, कटनी, पं. क्र. 163, दिनांक 06 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 26 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(632)

कटनी, दिनांक 27 जुलाई, 2016

क्र./संपक/परि./16/1021.—विध्वनिनाशक प्रा. उप. सह. भण्डार मर्या., अम्बेडकर वार्ड, कटनी, पं. क्र. 164, दिनांक 06 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/संपक/परिसमापन/314, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये विध्वनिनाशक प्रा. उप. सह. भण्डार मर्या., अम्बेडकर वार्ड, कटनी, पं. क्र. 164, दिनांक 06 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 27 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(632-A)

कटनी, दिनांक 27 जुलाई, 2016

क्र./संपंक/परि./16/1022.—माँ भागवती महिला प्रा. उप. सह. भण्डार मर्या., श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड, कटनी, पं. क्र. 166, दिनांक 06 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/संपंक/परिसमापन/316, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये माँ भागवती महिला प्रा. उप. सह. भण्डार मर्या., श्याम प्रसाद मुखर्जी वार्ड, कटनी, पं. क्र. 166, दिनांक 06 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 27 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

भरत कुमार मोदी,  
सहायक-पंजीयक।

(632-B)

### कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता ( अंकेक्षण ), होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 05 जुलाई, 2016

[ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत ]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नांकित समितियों को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	तक्षशिला महिला बड़ीपापड़ उद्योग, होशंगाबाद	448/13-01-1994	989/30-05-2016
2.	उद्वहन सिंचाई सहकारी समिति, जमानी	2796/17-10-2003	989/30-05-2016
3.	सतपुड़ा रेत खदान, केसला	2472/06-10-1995	989/30-05-2016
4.	नितिन प्राथ. उपभोक्ता भण्डार, इटारसी	2455/08-06-1995	989/30-05-2016
5.	मृत्युंजय यातायात सहकारी समिति, इटारसी	2816/18-08-2004	989/30-05-2016
6.	बजरंग प्राथ. उपभोक्ता, इटारसी	2642/22-10-1997	989/30-05-2016
7.	दुर्घ उत्पादक सहकारी समिति, जमानी	2825/04-03-2005	989/30-05-2016
8.	माँ शारदा साख सहकारी समिति, इटारसी	-	989/30-05-2016
9.	गुरुगोविंद सिंह साख सहकारी समिति, इटारसी	-	989/30-05-2016
10.	महर्षि वाल्मीकी साख सहकारी समिति, इटारसी	-	989/30-05-2016
11.	माँ अनपूर्णा साख सहकारी समिति, इटारसी	-	989/30-05-2016
12.	माँ लक्ष्मी साख सहकारी समिति, इटारसी	-	989/30-05-2016
13.	राजीव गांधी साख सहकारी समिति, इटारसी	-	989/30-05-2016
14.	महाराष्ट्र साख सहकारी समिति, इटारसी	48/30-12-2003	337/07-03-2015
15.	जय प्रिया महिला बहुउद्देश्य सहकारी समिति, मोथिया साकेत	2696/24-05-1999	337/07-03-2015

**अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की दिनांक से 2 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तिका में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेगे।**

विनिता चौधरी,

(633)

परिसमापक.

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर

श्योपुर, दिनांक 03 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग)के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/914.—सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर के आदेश क्र./परि./2016/649, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक	संशोधित आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4	5
1.	तिलहन उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., उत्तनवाड़	1011/31-03-1995	904/07-10-2002	649/03-06-2016
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मालीपुरा	143/20-07-2011	459/05-07-2013	649/03-06-2016
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुरुनाबदा	126/01-04-2011	460/05-07-2013	649/03-06-2016
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आवदा	126/01-04-2011	462/05-07-2013	649/03-06-2016
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रीछी	134/13-04-2011	461/05-07-2013	649/03-06-2016
6.	महात्मा गांधी विपणन सहकारी संस्था मर्या., बड़ौदा	03/04-06-2001	319/19-03-2010	649/03-06-2016

**अतः उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, नियम-1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला श्योपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें।**

यदि निर्धारित अवधि में मय-प्रमाण के कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा। संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी के आधार पर समस्त दायित्व स्वमेव: मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे एवं संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 02 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

आर. पी. बैरलिया,

(634)

परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी.

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर

श्योपुर, दिनांक 03 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग)के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/915.—सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर के आदेश क्र./परि./2016/649, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा

निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक	संशोधित आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4	5
1.	राजीव गांधी महिला स्वायत्त सहकारी भण्डार मर्या., श्योपुर	11/24-09-2003	4564/04-10-2011	649/03-06-2016
2.	श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., सरजुपुरा	131/08-04-2011	899/20-01-2016	649/03-06-2016
3.	बाबा आनंद सहकारी संस्था मर्या., श्योपुर	10/26-12-2002	899/20-01-2015	649/03-06-2016
4.	आदिवासी बुनकर सहकारी संस्था मर्या., गोरखपुर	302/04-09-1991	9406/04-11-2011	649/03-06-2016
5.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., धनाच्छा	40/23-06-2004	4590/04-10-2011	649/03-06-2016
6.	जय थोरेट बाबा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., वीरपुर	149/12-03-1997	4564/04-10-2011	649/03-06-2016

अतः उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, नियम-1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला श्योपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में मय-प्रमाण के कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा। संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी के आधार पर समस्त दायित्व स्वमेव: मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेगें एवं संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 02 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

आर. के. गांगिल,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।

(635)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर

श्योपुर, दिनांक 03 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/916.—सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर के आदेश क्र./परि./2016/649, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक	संशोधित आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4	5
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ओड्हापुरा	867/17-03-1989	4552/04-10-2011	649/03-06-2016
2.	श्रीराम ईधन क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., वीरपुर	58/14-03-2005	4559/04-10-2011	649/03-06-2016
3.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., श्यामपुर	20/27-08-2002	4586/04-10-2011	649/03-06-2016
4.	जय बाबा बजरंगदास महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पांचो	22/05-02-2003	4587/04-10-2011	649/03-06-2016

अतः उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, नियम-1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला श्योपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में मय-प्रमाण के कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा। संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी के आधार पर समस्त दायित्व स्वमेवः मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे एवं संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 02 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

विजय अंधारे,

(636)

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर

श्योपुर, दिनांक 03 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग)के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/919.—सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर के आदेश क्र./परि./2016/649, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक	संशोधित आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4	5
1.	महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., नीमच	41/22-06-2004	4588/04-10-2011	649/03-06-2016
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., वर्दाखुर्द	141/20-07-2011	451/05-07-2013	649/03-06-2016
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुसवाड़ा	139/20-07-2011	452/05-07-2013	649/03-06-2016
4.	मछुआ सहकारी संस्था मर्या., बड़ौदा	1034/31-03-1995	899/20-01-2015	649/03-06-2016
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., प्रेमसर	732/11-03-1985	469/05-07-2013	649/03-06-2016
6.	कुशाभाऊ क्रय-विक्रय एवं साख सह. संस्था मर्या., श्योपुर	13/08-04-2004	4654/05-11-2011	649/03-06-2016

अतः उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, नियम-1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला श्योपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में मय-प्रमाण के कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा। संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी के आधार पर समस्त दायित्व स्वमेवः मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे एवं संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 02 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

आर. के. राय,

(637)

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर

श्योपुर, दिनांक 03 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग)के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/920.—सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर के आदेश क्र./परि./2016/649, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया

जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक	संशोधित आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4	5
1.	महिला बहु सहकारी संस्था मर्या., कींजरी	46/23-06-2004	446/05-07-2013	649/03-06-2016
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जमुदी	138/20-07-2011	447/05-07-2013	649/03-06-2016
3.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., लाडपुरा	11/26-09-2001	448/05-07-2013	649/03-06-2016
4.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सुठारा	38/10-06-2004	463/05-07-2013	649/03-06-2016
5.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., नदीगांवघूघस	42/23-06-2004	464/05-07-2013	649/03-06-2016
6.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गोहर	01/13-12-2000	465/05-07-2013	649/03-06-2016
7.	एडब्ल्यूकेट गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., श्योपुर	634/30-09-1986	450/05-07-2013	649/03-06-2016
8.	माँ कैलादेवी फल-फूल, सागभाजी सहकारी संस्था मर्या., सुनवई	1054/12-10-1995	4598/04-10-2011	649/03-06-2016

अतः उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, नियम-1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला श्योपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में मय-प्रमाण के कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा। संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी के आधार पर समस्त दायित्व स्वमेव: मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे एवं संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 02 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

आर. ए.ल. सगर,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।

(638)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर

श्योपुर, दिनांक 03 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/921.—सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर के आदेश क्र./परि./2016/649, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक	संशोधित आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4	5
1.	महात्मागांधी फल-सब्जी विपणन सह. संस्था मर्या., श्योपुर	04/04-06-2001	59/17-02-2004	649/03-06-2016
2.	पवन सेनेट्री मार्ट सहकारी संस्था मर्या., श्योपुर	24/16-07-2003	1894/04-03-2011	649/03-06-2016
3.	अनुसूचित जनजाति मत्स्य सह. संस्था मर्या., ककरदा	71/06-04-2006	4548/04-10-2011	649/03-06-2016
4.	प्राथमिक बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बडौदा	5186/20-04-1949	8408/04-11-1997	649/03-06-2016

1	2	3	4	5
5.	आदिवासी बुनकर सहकारी संस्था मर्या., शिवलालकापुरा	301/31-08-1991	737/22-01-1998	649/03-06-2016
6.	विपणन सहकारी संस्था मर्या., बड़ौदा	26/23-11-1965	51/02-11-1976	649/03-06-2016
7.	इन्द्राविलास दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., सारसिल्ला	28/16-07-2003	4561/04-10-2011	649/03-06-2016
8.	अनुसूचित जनजाति बकरीपालन सह. संस्था मर्या., ककरदा	61/21-12-2005	4596/04-10-2011	649/03-06-2016
9.	अनुसूचित जनजाति बकरीपालन सह. संस्था मर्या., कलमी	62/23-12-2005	4595/04-10-2011	649/03-06-2016
10.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., धोरेली	99/02-12-2009	4581/04-10-2011	649/03-06-2016
11.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., झेरेर	47/23-06-2004	4589/04-10-2011	649/03-06-2016
12.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सिलपुरी	65/10-01-2006	4591/04-10-2011	649/03-06-2016
13.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पर्तवाड़ा	64/03-01-2006	4592/04-10-2011	649/03-06-2016
14.	द्वारिकादास स्वायत्त साख सहकारी संस्था मर्या., वीरपुर	15/04-07-2007	4655/05-11-2011	649/03-06-2016

अतः उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, नियम-1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला श्योपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में मय-प्रमाण के कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा। संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी के आधार पर समस्त दायित्व स्वमेवः मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे एवं संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 02 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

के. आर. रेगर,

(639)

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक,

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर

श्योपुर, दिनांक 02/03 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग)के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/922.—सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर के आदेश क्र./परि./2016/649, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक	संशोधित आदेश क्रमांक एवं दिनांक एवं दिनांक
1	2	3	4	5
1.	विपणन सहकारी संस्था मर्या., वीरपुर	79/01-04-2007	449/05-07-2013	649/03-06-2016
2.	राजीवगांधी श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., श्योपुर	80/09-02-2005	899/20-01-2015	649/03-06-2016
3.	थोक उपभोक्ता स्वायत्त सहकारी भण्डार मर्या., श्योपुर	01/27-11-2000	4645/05-11-2011	649/03-06-2016
4.	आदिवासी बनोपज स्व. सहकारी संस्था मर्या., कराहल	02/02-12-2000	4646/05-11-2011	649/03-06-2016
5.	महात्मगांधी श्रमिक सह. संस्था मर्या., श्योपुर	03/26-12-2000	4647/05-11-2011	649/03-06-2016
6.	सुविधा प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., श्योपुर	06/08-05-2002	4650/05-11-2011	649/03-06-2016
7.	माँ पिताम्बरा महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., श्योपुर	08/06-06-2003	4651/05-11-2011	649/03-06-2016

अतः उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, नियम-1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला श्योपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में मय-प्रमाण के कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा। संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी के आधार पर समस्त दायित्व स्वमेवः मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावें एवं संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 02 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

पवन कुमार अग्रवाल,  
परिसमापक एवं उप अंकेक्षक।

(640)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 22 जुलाई, 2016

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ( 1 ) के अन्तर्गत ]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 264, दिनांक 08 फरवरी, 2008 द्वारा वनखेतीहर मजदूर कामगार सहकारी संस्था मर्या., बोरखेड़ा जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1205, दिनांक 04 अगस्त, 1994 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री बी. एस. पटेल, उप-अंकेक्षक, को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ( 1 ) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 22 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

मनोज जायसवाल,  
उप-पंजीयक।

(682)

### कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला

बैगा बाबा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., इटका, पंजी. क्र. 852, दिनांक 01 अक्टूबर, 1993, विकासखण्ड नैनपुर को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम./परिसमापन/2015/1291, दिनांक 19 जून, 2015 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी नैनपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का परीक्षण किया गया। प्रतिवेदन के परीक्षण में पाया गया कि संस्था के सदस्यों के हितों के संरक्षण की दृष्टि से संस्था का अस्तित्व में बना रहना उचित है।

अतः मैं, जी. पी. कन्ढा, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 ( 4 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये बैगा बाबा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., इटका, पंजी. क्र. 852, दिनांक 13 जनवरी, 2012 कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम/परि./2015/1291, दिनांक 19 जून, 2015 को निरस्त करता हूँ। साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु निर्वाचित होने तक सहकारिता विस्तार अधिकारी नैनपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 19 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

जी. पी. कन्ढा,  
सहायक रजिस्ट्रार।

(641)



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 सितम्बर 2016-भाद्र 11, शके 1938

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 18 मई, 2016

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के जिला शहडोल, अनूपपुर, सीधी जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है।—

( अ ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील सोहागपुर, बुढ़ार, (शहडोल), जैतहरी, अनूपपुर, कोतमा (अनूपपुर), कुसमी, रामपुरनैकिन (सीधी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.—जिला ग्वालियर, मंदसौर, खरगोन, बड़वानी, सीहोर, सिवनी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.—

4. फसल स्थिति.—

5. कटाई.—

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, नीमच, बड़वानी, बुरहानपुर, सीहोर, रायसेन, सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

10. खेतिहार श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहार श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का सासाहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 18 मई, 2016

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामियक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अन्वाह	..				
2. पोरसा	..				
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	..				
2. कराहल	..				
3. विजयपुर	..				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ चना, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलों समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	..				
2. भिण्ड	..				
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	..				
2. डबरा	..				
3. भितरवार	..				
4. घाटीगांव	..				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों, मसूर, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलों समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	..				
2. दतिया	..				
3. भाण्डेर	..				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बद्रबास	..				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक उड़द, गना, गेहूं चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली 2. ईसागढ़ 3. अशोकनगर 4. चन्द्रेरी 5. शाढौरा	..	..			
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना 2. राधोगढ़ 3. बमोरी 4. आरोन 5. चाचौड़ा 6. कुम्भराज	..	..			
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी 2. पृथ्वीपुर 3. जतारा 4. टीकमगढ़ 5. बल्देवगढ़ 6. पलेरा 7. ओरछा	..	..			
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तिल अधिक तुअर कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लवकुशनगर 2. गौरीहार 3. नौगांव 4. छतरपुर 5. राजनगर 6. बिजावर 7. बड़मलहरा 8. बकस्वाहा	..	..			
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तिल, गेहूं, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर, आलू, प्याज. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. ..
1. अजयगढ़ 2. पन्ना 3. गुनौर 4. पवई 5. शाहनगर	..	..			
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना 2. खुरई 3. बण्डा 4. सागर 5. रेहली 6. देवरी 7. गढ़कोटा 8. राहतगढ़ 9. केसली 10. मालथोन 11. शाहगढ़	..	..			

1	2	3	4	5	6
*जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगांव	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना, जौ, राई-सरसों अधिक. गेहूँ कम. मसूर, अलसी, अरहर समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्यांथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकर्णुलियान	..				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, तुअर, गेहूँ, मसूर, मटर कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	2.0				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिहनगर	..				
4. बुढार	2.8				
5. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	1.0				
2. अनूपपुर	7.8				
3. कोतमा	2.1				
4. पुष्पराजगढ़	..				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर अधिक. गेहूँ, चना, मसूर, राई-सरसों, अलसी कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	1				
2. सिंहावल	..				
3. मझौली	..				
4. कुसमी	3				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरानैकिन	4.8				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	..				
2. भानपुरा	..				
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दसौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुन्थड़का	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) राई-सरसों, मसूर, मटर अधिक गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	..				
2. नीमच	..				
3. मनासा	..				
जिला रत्लाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मूँग समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रत्लाम	..				
*जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. खाचरौद	..				
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ चना. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	..				
2. शाजापुर	..				
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कनौद	..				
6. खातेगांव	..				
<b>*जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. थांदला	..				
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणपुर	..				
<b>जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	..				
2. अलीराजपुर	..				
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोणडवा	..				
5. भामरा	..				
<b>जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, गन्ना अधिक. कपास कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	..				
2. सरदारपुर	..				
3. धार	..				
4. कुक्की	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
<b>जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
<b>जिला खरगौन :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, बाजरा, अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार, धान, कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..				
2. महेश्वर	..				
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना अधिक. गेहूँ कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. बड़वानी	..				
2. ठीकरी	..				
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
<b>*जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
<b>जिला बुहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) कपास, मूँगफली सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुहानपुर	..				
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	..				
<b>*जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
<b>जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
<b>जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
<b>जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..				
2. आषा	..				
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. रायसेन	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..				
3. बेगमगंज	..				
4. गौहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
<b>जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) (2)	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिंचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
<b>जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) (2)	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..				
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
<b>जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. हरदा	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
<b>जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3. 4. (1) उड़द, मूँग सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. सीहोरा	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. पाटन	..				
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	..				
5. कुण्डम	..				
<b>जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) (2)	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. कटनी	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. रीठी	..				
3. विजयराधोगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) सोयाबीन, धान, गन्ना, मूँग, चना, मटर, मसूर, अधिक. तुअर कम. उड़द समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडवारा 2. करेली 3. नरसिंहपुर 4. गोटेगांव 5. तेन्दुखेड़ा	..	..			
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) चना, गेहूँ, मटर, मसूर, लाख, राई-सरसों, अलसी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास 2. बिछिया 3. नैनपुर 4. मण्डला 5. घुघरी 6. नारायणगंज	..	..			
*जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. डिण्डोरी 2. बजाग 3. शाहपुरा	..	..			
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा 2. जुन्नारदेव 3. परासिया 4. जामई (तामिया) 5. सोंसर 6. पांढुर्णा 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. बिछुआ 10. हरई 11. चांद 12. मोहखेड़ा	..	..			
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. 4. (1) गेहूँ, राजगिर, चना, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, उड़द, मूँग, राई-सरसों, अलसी. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी 2. केवलारी 3. लखनादौन 4. बरघाट 5. उरई 6. घंसौर 7. घनोरा 8. छपारा	..	..			
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट 2. लाँजी 3. बैहर 4. वारासिवनी 5. कटंगी 6. किरनापुर	..	..			

टीप.— \*जिला दमोह, उज्जैन, झाबुआ, खण्डवा, राजगढ़, डिण्डोरी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.